

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-फरवरी, 2014 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 2014

तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य शासन द्वारा कोटवारों को प्रदत्त भूमि के विक्रय हेतु जारी आदेश

1. (*क्र. 1026) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा कोटवारों को प्रदत्त भूमि को कुछ शर्तों के साथ विक्रय की अनुमति दी गयी थी ? यदि हां तो, आदेश क्रमांक एवं आदेश में उल्लेखित शर्तें बताएं. (ख) क्या राज्य शासन के उक्त आदेश को राज्य शासन ने निरस्त किया ? यदि हां तो, कब ? (ग) उक्त आदेश निरस्तीकरण के दिनांक तक प्रदेश के कितने कोटवारों को कितनी भूमि विक्रय की अनुमति जारी की गयी ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्नांक "क" एवं "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

गोबरा नवापारा में गृह निर्माण मण्डल को आवंटित भूमि पर काबिज कृषकों का व्यवस्थापन

2. (*क्र. 1038) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायपुर जिले की गोबरा नवापारा (प.ह.नं.-46) खसरा नं. 111, 111/2 की भूमि पर काबिज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन कृषकों को बेदखल कर शासन ने उक्त भूमि को अटल बिहार योजना हेतु गृह निर्माण मंडल को 26.248 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दिया है ? (ख) यदि हां तो, उक्त भूमि पर काबिज किसानों के नाम, भूमि का रकबा तथा किस वर्ष से काबिज है, कृपया बतावें ? क्या इन किसानों का अन्य भूमि पर व्यवस्थापन किया जा रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) रायपुर जिले के गोबरा नवापारा प.ह.नं. 46 की शासकीय भूमि खसरा नं. 111/2 रकबा 26.248 हे. मद् घास भूमि को अटल बिहार योजना के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवंटित किया गया है. उक्त भूमि पर 59 व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसमें से अनुसूचित जाति वर्ग के 12, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 16 तथा अन्य वर्ग के 31 अतिक्रामक रहे हैं. शासकीय भूमि खसरा नं. 111/1 रकबा 4.100 हे. मद् घास का आवंटन नहीं किया गया है. (ख) उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों की नामवार सूची, अतिक्रमित भूमि का रकबा तथा अतिक्रमण की अवधि की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. उक्त अतिक्रामकों को अन्य भूमि पर व्यवस्थापित नहीं किया जा रहा है.

नवागढ़ नगर में शासकीय महाविद्यालय का प्रारंभ

3. (*क्र. 1034) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चाम्पा विधान सभा क्षेत्र के नवागढ़ नगर में शासकीय महाविद्यालय कब तक प्रारंभ किया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : राज्य शासन द्वारा नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ हेतु सेटअप जारी किया गया है. महाविद्यालय प्रारंभ करने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

एशियन डेव्हलपमेंट बैंक से आहरित राशि से राज्य की सड़कों का निर्माण

4. (*क्र. 909) **श्री अमित अजीत जोगी** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 से 31 दिसम्बर, 2013 की स्थिति में एशियन डेव्हलपमेंट बैंक से राज्य को कितनी-कितनी लंबाई की, किन-किन सड़कों के लिये कितनी-कितनी राशि किस ब्याज दर पर प्राप्त की गई है ? एशियन डेव्हलपमेंट बैंक से कुल अनुबंध कितने किलोमीटर की सड़कों का कब और कितनी राशि का किया गया था ? (ख) उक्त सड़कों में से किन-किन सड़कों का निर्माण कब-कब, कितने-कितने समय में पूरा किया गया ? शेष सड़कों के निर्माण की सड़कवार अद्यतन स्थिति के साथ-साथ कितनी राशि कार्य पूरा करने के लिए शेष है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दी गई है. अनुबंध में सड़कों की लंबाई का उल्लेख नहीं है. 14 दिसम्बर 2004, 180 मिलियन यूएस डॉलर. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दी गई है.

जिला कांकेर में बंदोबस्त त्रुटि सुधार के लंबित प्रकरण

5. (*क्र. 867) **श्री शंकर ध्रुवा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकेर में 17 जनवरी, 2014 की स्थिति में नामांकन, सीमांकन, बंटवारा, बी-1, पठन-पाठन बंदोबस्त त्रुटि सुधार में कुल कितने प्रकरण लंबित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें. (ख) कंडिका "क" के तहत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु क्या कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो कितनी तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जिला कांकेर में 17 जनवरी, 2014 की स्थिति में नामांकन के 224 प्रकरण, सीमांकन के 257 प्रकरण, बंटवारा के 118 प्रकरण एवं बंदोबस्त त्रुटि के 104 इस तरह कुल 703 प्रकरण लंबित हैं. विकासखण्डवार लंबित प्रकरणों की जानकारी नीचे दर्शाये अनुसार है :—

विकासखण्ड का नाम	नामांतरण	सीमांकन	बटवारा	बंदोबस्त त्रुटि सुधार	बी-1 पठन-पाठन
कांकेर	153	142	42	41	विकासखण्ड के सभी
नरहरपुर	8	4	7	9	ग्रामों में संबंधित हल्का
चारामा	26	13	25	40	पटवारी के द्वारा बी-1
भानुप्रतापपुर	9	13	8	6	पढ़कर सुनाया गया है.
दुर्गकोंदल	10	3	11	1	
अंतागढ़	1	3	0	0	
कोयलीबेड़ा	17	79	25	7	
योग	224	257	118	104	

(ख) जी हां. विषयवार निर्धारित समय सीमा नीचे दर्शाये अनुसार है :—

शीर्ष	निराकरण हेतु निर्धारित अधिकतम समय-सीमा	प्रकरणों के निराकरण हेतु नियत तिथि
नामांकन	03 माह	लंबित प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में कर लिया जावेगा.
सीमांकन	03 माह	लंबित प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में कर लिया जावेगा.
बंटवारा	06 माह	लंबित प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में कर लिया जावेगा.
बंदोबस्त त्रुटि सुधार.	03 माह	लंबित प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में कर लिया जावेगा.

प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों को खनिजों के खनन हेतु प्रदत्त पर्यावरणिय स्वीकृति

6. (*क्र. 585) **श्री भूपेश बघेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन औद्योगिक संस्थानों को लौह अयस्क, कोयला, बाक्साइट खनन हेतु पर्यावरण संबंधी केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31-12-2013 तक सम्मति प्रदान की गयी है ? (ख) किन-किन संस्थाओं द्वारा उक्त तिथि तक खनिज का उत्खनन प्रारंभ कर दिया गया है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) छत्तीसगढ़ के जिन औद्योगिक संस्थानों को राज्य में लौह अयस्क, कोयला एवं बाक्साइट खनन हेतु केन्द्र एवं/अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, उनकी जानकारी प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है.

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशि. अधिकारियों की नियुक्ति में अनियमितता

7. (*क्र. 1029) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति हेतु वर्ष 2012 में साक्षात्कार हुआ था ? (ख) यदि हां, तो किन-किन पदों पर, कितने-कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई ? (ग) क्या उक्त नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां तो, किन-किन अनियमितताओं के संबंध में, किनके द्वारा एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जी हां. (ख) प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर 640 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है. (ग) जी हां. शिकायतों में अनियमितताओं का विषय एवं शिकायत पर की गई, विवरण †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृत राशि

8. (*क्र. 1004) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजनांदगांव कलेक्टर द्वारा जनवरी, 2014 में आपदा राहत निधि मद से अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त अधोसंरचना मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत की गई है ? (ख) यदि हां तो, किस कार्य हेतु एवं उक्त स्वीकृत कार्य क्या अतिवृष्टि या बाढ़ से क्षतिग्रस्त है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जी हां. (ख) स्वीकृत कार्यों का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. उक्त सभी कार्य अतिवृष्टि या बाढ़ से क्षतिग्रस्त होना पाया गया है.

प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन करने हेतु केन्द्र से प्राप्त स्वीकृति

9. (*क्र. 184) **श्री संतोष बाफना** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विगत पांच वर्षों में कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर कहां-कहां तक फोर लेन का निर्माण करने हेतु केन्द्र शासन के भूतल परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव कब-कब भेजा गया है ? (ख) उक्त में से किन-किन प्रस्तावों को केन्द्र शासन से कब-कब स्वीकृति प्राप्त हो गई है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 43 (नया रा.रा. क्र. 30) रायपुर से जगदलपुर. दिनांक 09-01-2013 को. (ख) केन्द्र शासन से स्वीकृति अपेक्षित है.

जिला प्रशासन कोरबा द्वारा विद्युत उत्पादन संयंत्र को बंद किए जाने की अनुशंसा

10. (*क्र. 685) **श्री जयसिंह अग्रवाल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कोरबा शहर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी पूर्व के 440 मेगावाट संयंत्र को बंद करने की अनुशंसा जिला प्रशासन कोरबा द्वारा की गई है ? यदि हां तो, कब ? (ख) जिला प्रशासन कोरबा की अनुशंसा पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो, क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा ने अपने पत्र दिनांक 12-12-2005 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (पूर्व) के 4x50 मेगावाट इकाईयों को बंद करने एवं न्यायालय में वाद दायर करने के संबंध में लिखा गया था. (ख) उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कोरबा के न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन है.

देवकट्टा जलाशय के विस्थापितों को वितरित मुआवजा राशि

11. (*क्र. 850) **श्रीमती सरोजनी बंजारे** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2011-12 से दिनांक 20-01-2014 तक देवकट्टा जलाशय निर्माण में विस्थापित किन-किन ग्रामवासियों को शासन द्वारा किस-किस दर से, कितना-कितना मुआवजा, कब-कब प्रदान किया है ? किन-किन ग्रामवासियों को मुआवजा दिया जाना शेष है ? (ख) मुआवजा वितरण हेतु शेष ग्रामवासियों को किस निश्चित तिथि तक मुआवजा वितरण पूर्ण कर लिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) वित्तीय वर्ष 2011-12 से दिनांक 20-01-2014 तक देवकट्टा जलाशय निर्माण में किसी भी ग्रामवासियों को विस्थापित नहीं किया गया है, और न ही विस्थापन हेतु मुआवजा भुगतान किया गया है. (ख) बिन्दु क्रमांक "क" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है.

रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम श्यांग से कुदमुरा तक का सड़क निर्माण

12. (*क्र. 321) **श्री श्यामलाल कंवर** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम श्यांग से कुदमुरा मार्ग प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना के तहत कब लिया गया तथा उक्त मार्ग का डामरीकरण कार्य कब पूर्ण होगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : प्रश्नाधीन मार्ग प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना के तहत नहीं लिया गया. निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं.

रामपुर तथा घोघरी जलाशय हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

13. (*क्र. 841) **श्री रामदयाल उड़के** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले के अंतर्गत निर्माणाधीन रामपुर जलाशय एवं घोघरी जलाशय में कुल कितने कृषकों की कृषि भूमि अर्जित की गई थी तथा कितनी-कितनी मुआवजा राशि भुगतान की गई है ? (ख) क्या डूबान के अन्दर बने मकानों का मुआवजा दिया गया ? यदि हां तो, मकान एवं फलदार वृक्षों का मुआवजा कितना-कितना दिया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) कोरबा जिले के अंतर्गत निर्माणाधीन रामपुर जलाशय के लिए कुल 288 कृषकों की 216.305 हे. कृषि भूमि अर्जित की गई है, जिसकी कुल मुआवजा राशि 5,88,46,827.00 रुपये है, जिसमें से अब तक 180 कृषकों को राशि 4,87,42,713.00 रुपये का भुगतान किया जा चुका है. शेष 108 कृषकों को राशि 1,01,04,114.00 रुपये का भुगतान शेष है. मुआवजा भुगतान की कार्यवाही जारी है. कोरबा जिले में घोघरी जलाशय नाम के किसी जलाशय के लिए कोई भू-अर्जन नहीं किया गया है. (ख) जी हां. डूबान के अन्दर बने मकानों एवं वृक्षों का मुआवजा शासन के गाईड लाईन अनुसार परिगणित किया गया है. मकानों की कुल मुआवजा राशि 2,43,12,241.00 रुपये है, जिसमें से राशि 2,35,83,701.00 रुपये का भुगतान किया जा चुका है एवं राशि 7,28,540.00 रुपये भुगतान हेतु शेष है. इसी प्रकार वृक्षों की कुल मुआवजा राशि 81,06,658.00 रुपये है जिसमें से राशि 66,74,891.00 रुपये का भुगतान किया जा चुका है. राशि 14,31,767.00 रुपये भुगतान हेतु शेष है. भुगतान की प्रक्रिया जारी है.

बस्तर में स्थापित हो रहे टाटा स्टील प्लांट के प्रभावितों को मुआवजा

14. (*क्र. 739) **श्री दीपक बैज** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर में स्थापित हो रहे टाटा स्टील प्लांट में कुल कितने मकान व परिवार प्रभावित हो रहे हैं ? (ख) इनमें से कितनों को मुआवजा दिया जा चुका है, कितनों को देना शेष है ? (ग) प्रभावित परिवारों में कितनों को सरकार द्वारा स्थानीय रोजगार निधि के तहत रोजगार मुहैया कराया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) बस्तर जिले में स्थापित हो रहे टाटा स्टील प्लांट में कुल 1707 खातेदार की भूमि अर्जित की गई है, जिसमें 87 मकान प्रभावित हो रहे हैं. निजी भूमि में 54 एवं शासकीय भूमि में 31 निजी मकान तथा 2 शासकीय भवन निर्मित हैं. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) कुल 1707 अर्जित की गई भूमि में से 1165 खातेदारों को मुआवजा दिया जा चुका है. 542 खातेदारों को मुआवजा भुगतान किया जाना शेष है. (ग) प्रभावित 1707 खातेदारों में से किसी को भी भूमि के बदले रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है.

उद्योगों के उत्सर्जित अपशिष्टों के प्रबंधन संबंधी

15. (*क्र. 1021) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उरला, सिलतरा एवं इसके आसपास के क्षेत्र में कितने और कौन-कौन से इस्पात संयंत्र, पॉवर प्लांट स्थापित/संचालित हैं ? इनकी उत्पादन क्षमता भी बतावें ? (ख) कंडिका “क” के कौन-कौन से संयंत्र कोयला/बाँयोमास आधारित है एवं इन उद्योगों में प्रतिदिन औसतन कितना कोयला/भूसा की खपत है ? औसतन इन उद्योगों से कितनी मात्रा में प्रतिदिन अपशिष्ट यथा राख/डस्ट निकलता है ? (ग) कंडिका “ख” के अपशिष्टों को डंप करने का क्या प्रबंध है ? क्या इसके लिए स्थान चिन्हित है ? यदि हां तो, कहां-कहां पर इनके पालन न करने वाले कितने उद्योगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? नाम सहित बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” पर †† संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” पर †† संलग्न है. (ग) अपशिष्टों के प्रबंधन की व्यवस्था की जानकारी प्रपत्र “स” पर †† संलग्न है. राखड़/डस्ट के अपवहन के लिये स्थल चिन्हित नहीं है. अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है.

महासमुन्द विकासखण्ड के ग्राम केशवा में शासकीय भूमि से वृक्षों की कटाई की जांच

16. (*क्र. 926) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में महासमुन्द विकासखण्ड के ग्राम केशवा में शासकीय राजस्व भूमि के वृक्षों की कटाई किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां तो, कब ? (ख) क्या शिकायत पर क्या जांच कराई गई ? यदि हां तो, जांचकर्ता अधिकारी के नाम एवं जांच निष्कर्ष बतायें ? (ग) दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं तो, क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जी हां. वर्ष 2012-13 में विकासखण्ड महासमुन्द के ग्राम केशवा की शासकीय भूमि में स्थित वृक्षों की कटाई किये जाने की शिकायत दिनांक 18-03-2013, 05-04-2013 एवं दिनांक 23-04-2013 को प्राप्त हुई थी. (ख) जी हां. ग्राम केशवा की शासकीय भूमि में स्थित वृक्षों की कटाई किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द द्वारा श्री बी. आर. साहू तहसीलदार महासमुन्द से जांच कराया गया. तहसीलदार महासमुन्द द्वारा रा.मा.क्र. 310 ब/121 वर्ष 2012-13 दर्ज कर प्रतिवेदन दिनांक 22-04-2013 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द को प्रेषित किया गया है. जिसमें अनावेदक दिलीप कुमार चंद्राकर पिता सेवन लाल चंद्राकर निवासी ग्राम केशवा एवं प्रमोद चंद्राकर पिता सेवन लाल चंद्राकर निवासी ग्राम कोना को अवैध वृक्ष कटाई किये जाने की पुष्टि होने पर छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने के कारण संहिता की धारा 253 के तहत अनावेदक को अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है. जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द द्वारा रा.मा.क्र. 4अ/62 वर्ष 2012-13 दर्ज कर अनावेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्राप्त दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर अनावेदक दिलीप चंद्राकर पिता राधेश्याम चंद्राकर निवासी केशवा द्वारा ग्राम केशवा की शासकीय भूमि ख.नं. 95 एवं 118 रकबा क्रमश 1.90 एवं 10.85 हे. में से 960 जीवित वृक्षों की अवैध रूप से कटाई करने का दोषी पाया गया है. (ग) दोषी पाये गये दिलीप चंद्राकर पिता राधेश्याम चंद्राकर निवासी ग्राम केशवा के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी (रा) महासमुन्द द्वारा रा.मा.क्र. 4अ/62 वर्ष 2012-13 में दिनांक 25-07-2013 को संहिता की धारा 240, 241 सहपठित धारा 253(1) के तहत 25000.00 (पच्चीस हजार रुपये) अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है.

बिहारपुर-बलंगी मार्ग पर रेण नदी पर निर्माणाधीन पुल की स्थिति

17. (*क्र. 82) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सूरजपुर जिले के बिहारपुर-बलंगी मार्ग पर रेण नदी में 2008 से निर्माणाधीन पुल आज तक अपूर्ण है ? (ख) यदि हां तो, उक्त निर्माण कार्य अब तक अधूरा क्यों है एवं यह कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? (ग) विलम्ब हेतु दोषी ठेकेदार एवं अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. (ख) दुर्गम एवं नक्सल क्षेत्र होने के कारण, स्ट्रेटा के कारण नींव संरचना में परिवर्तन, प्रत्येक वर्ष केवल 04-05 माह की अवधि कार्य के लिये उपलब्ध होना. निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं. (ग) कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

लैंको कम्पनी को आवंटित भूमि का मुआवजा

18. (*क्र. 875) **श्री भोलाराम साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम महरमकला प.ह.नं. 14 तहसील खैरागढ़ जिला राजनांदगांव के कुल कितने किसानों की कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहित कर शासन द्वारा लैंको कंपनी को आवंटित किया गया है ? किस-किस दर पर मुआवजा तैयार किया गया ? (ख) प्रभावित किसानों में से कितने कृषकों को मुआवजा दिया जा चुका है तथा कितने कृषकों को मुआवजा देना शेष है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) ग्राम महरमकला प.ह.नं. 14 तहसील खैरागढ़ जिला राजनांदगांव में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव के प्रस्ताव के आधार पर औद्योगिक प्रयोजन के लिये शामिल चारागाह की भूमि खसरा नंबर 928 रकबा 54.924 हेक्टेयर भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 अ/82 वर्ष 2009-10 में पारित अर्वाइ दिनांक 1-7-2010 के माध्यम से अधिग्रहित की गई है, जिसका रुपये 2,22,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रुपये 8,13,97,368/- मुआवजा निर्धारित किया गया है. (ख) मुआवजा वितरण नहीं किया गया है.

ग्राम नरहदा में गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवासीय योजना के तहत निर्माणाधीन मकान

19. (*क्र. 629) **श्री भूपेश बघेल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के ग्राम नरहदा में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवासीय योजना के तहत कितने मकानों का निर्माण कराया जा रहा है ? मकानों के वर्गवार जानकारी दें ? (ख) उक्त योजना के तहत कितनी एकड़ भूमि पर मकान बनाये जा रहे हैं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) उक्त योजना के तहत 21.71 एकड़ भूमि पर योजना ली जाना प्रस्तावित है.

ग्राम रामपुर के प.ह.नं. 21 की चकबंदी पूर्व भू-अभिलेख की स्थिति

20. (*क्र. 1005) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम रामपुर (खातूटोला) प.ह.नं. 21 तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव की भूमि खसरा नं. 190 रकबा 17.74 एकड़ भूमि किन-किन लोगों को पट्टे पर किन नियमों के तहत आवंटित की गई ? (ख) वर्तमान में उक्त भूमि किसके नाम व कब्जे में है ? (ग) क्या उक्त पट्टे की भूमि को विक्रय व रजिस्ट्री अन्य के नाम पर की गई है ? यदि हां तो, नाम व नियम सहित बतावें.

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) ग्राम रामपुर, प.ह.नं. 21, तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव की भूमि खसरा नंबर 190 का रकबा 17.74 को (1) गुहरी आत्मज बिरझू गोंड (2) मेहतर आत्मज मनबोध (3) संतोष आत्मज अजरदास पनिका (4) बुलखू आत्मज पीलू गोंड (5) उमेंदी आत्मज अंजोरी मरार को भूमि आवंटित की गई है. उपरोक्त आवंटन की कार्यवाही तत्कालीन म. प्र. शासन द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि आवंटन के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत अतिक्रमण व्यवस्थापन नियम के अंतर्गत किया गया है. (ख) वर्तमान में उक्त भूमि निम्न व्यक्तियों के नाम दर्ज होकर कब्जे में है :-

क्र.	नाम	खसरा नंबर	रकबा एकड़ में
1.	गुहरी आत्मज बिरझू गोंड	190/1	1.24
2.	सुन्दरसिंग आत्मज बनऊ कंवर	190/2	5.00
3.	प्रीतमदास, मालतीबाई, नीराबाई आ. संतोषदास, देवतीनबाई बेवा संतोषदास पनिका	190/3	5.00
4.	उमेद आ. बुलखू गोंड	190/4	1.50
5.	लक्ष्मण आ. एल.एन. टिकेवाल (बनिया)	190/5	5.00
		योग	17.74

(ग) जी हां. आवंटिती मेहत्तर आ. मनबोध द्वारा आवंटित भूमि खसरा नंबर 190/2 रकबा 5.00 एकड़ को दिनांक 01-12-1998 को सुन्दरसिंह आ. बनऊ कंवर के पास रजिस्ट्री विक्रय किया गया है. इसी तरह आवंटिती उमैद आ. अंजोरी मरार को आवंटित भूमि खसरा नंबर 190/5 रकबा 5.00 एकड़ को उसके वारिसान रमेशर, जगेसर आ. उमैदी मरार के द्वारा दिनांक 13-09-2010 को लक्ष्मण आ. एल. एन. टिकेवाल (बनिया) के पास रजिस्ट्री विक्रय किया गया है. छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) के अनुसार शासन से प्राप्त भूमि का विक्रय कलेक्टर की अनुज्ञा के बगैर नहीं किया जा सकता.

बस्तर जिले में नगरनार स्टील प्लांट के प्रभावितों को नौकरी का प्रावधान

21. (*क्र. 197) **श्री संतोष बाफना** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर स्थित नगरनार स्टील प्लांट के प्रभावितों को नौकरी प्रदान किये जाने संबंधी क्या प्रावधान है ? (ख) दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 की स्थिति में कितने प्रभावितों को नौकरी प्रदान की गई एवं कितनों को नौकरी प्रदान करना शेष है ? (ग) शेष प्रभावितों को कब तक नौकरी प्रदाय करने का लक्ष्य है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) एन.एम.डी.सी. द्वारा वर्ष 2001 में अधिग्रहित निजी भूमि से प्रभावित खातेदार के पुनर्वास हेतु प्रत्येक खातेदार द्वारा नामांकित 1 व्यक्ति को रोजगार देने का प्रावधान है. एन.एम.डी.सी. द्वारा ग्राम नगरनार में स्थापित की जा रही आयरन एण्ड स्टील प्लांट के लिए वर्ष 2010 में निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार के पुनर्वास के संबंध में आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (यथा संशोधित) में प्रावधानित है कि विस्थापित परिवार के 01 सदस्य जो भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 के प्रकाशन की तिथि से 03 वर्ष पूर्व भूमि स्वामी या पट्टेदार रहा हो उसे रोजगार दिया जावेगा. यदि भूमि पर कब्जा लेने के दिनांक से 02 वर्ष के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें पात्रता एवं योग्यता के अनुसार रोजगार के समतुल्य राशि बिना कार्य के तब तक दिया जायेगा, जब तक उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है. (ख) दिनांक 31 दिसम्बर 2013 की स्थिति में एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार द्वारा कुल 292 व्यक्ति को नौकरी दिया गया है तथा 853 व्यक्तियों को रोजगार/नौकरी प्रदान किया जाना शेष है. (ग) शेष व्यक्तियों को एन.एम.डी.सी. द्वारा मार्च 2017 तक रोजगार/नौकरी दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है.

जिला रायपुर में संस्था/निजी व्यक्ति को शासकीय भूमि का आवंटन

22. (*क्र. 1022) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के विकासखण्ड धरसीवा, तिल्दा, आरंग एवं अभनपुर के क्षेत्र में किन-किन संस्था/निजी व्यक्ति ने शासकीय भूमि की मांग विगत 5 साल में किन प्रयोजन हेतु की? (ख) शासकीय भूमि आवंटन हेतु राज्य शासन के क्या दिशा निर्देश है ? क्या जन सुनवाई का प्रावधान है ? (ग) कण्डिका "क" की मांग पर 15-01-2014 की स्थिति में किन-किन संस्थाओं/व्यक्ति को कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां पर आवंटित की गई, खसरा नंबर सहित बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) रायपुर जिले के विकासखण्ड धरसीवा, तिल्दा, आरंग एवं अभनपुर के क्षेत्र में जिन-जिन संस्थाओं/निजी व्यक्तियों के द्वारा विगत 05 वर्ष में शासकीय भूमि की मांग विभिन्न प्रयोजनों के लिए की गई है, उसकी विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" में दर्शाये अनुसार है. (ख) शासकीय भूमि का आवंटन राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार के भाग 1, 2 एवं 3 में किये गये प्रावधानों के अनुसार किया जाता है. उक्त परिपत्र में जन सुनवाई का प्रावधान नहीं है, तथापि कार्यवाही के दौरान ईशतहार जारी कर दावा/आपत्ति आमंत्रित किया जाता है. (ग) कंडिका "क" की मांग पर दिनांक 15-01-2014 की स्थिति में जिन-जिन संस्थाओं/व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है, उसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो" में दर्शाये अनुसार है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अभनपुर विधान सभा क्षेत्र में अधिसूचित ग्राम

1. (क्र. 477) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से ग्राम को कृषि के अतिरिक्त आवासीय एवं औद्योगिक या अन्य प्रयोजन हेतु अधिसूचित क्षेत्र शासन द्वारा घोषित किया गया है, कृपया बतावें ? (ख) उक्त ग्रामों में किस-किस ग्राम में किस-किस संस्था, फर्म या समिति आदि को, वर्ष 2012 एवं 2013 में आवासीय, औद्योगिक, शिक्षण या अन्य कार्यों के प्रयोजन हेतु कितने-कितने एकड़ जमीन में विभाग द्वारा निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ? कृपया जानकारी दें।

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अभनपुर निवेश क्षेत्र तथा नया रायपुर विशेष क्षेत्र का गठन किया गया है. नया रायपुर विशेष क्षेत्र का अंश भाग अभनपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आता है. अभनपुर निवेश क्षेत्र तथा नया रायपुर विशेष क्षेत्र में अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के सम्मिलित ग्रामों की जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है.

बस्तर में टाटा स्टील प्लांट की स्थापना से प्रभावित निजी एवं शासकीय भूमि

2. (क्र. 731) **श्री दीपक बैज** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर में स्थापित हो रहे टाटा स्टील प्लांट में कुल कितनी शासकीय व निजी भूमि प्रभावित हो रही है ? (ख) अधिग्रहीत की गई भूमि में सिंचित व असिंचित भूमि कितनी है ? “एकड़वार” जानकारी भी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) बस्तर जिले में स्थापित हो रहे टाटा स्टील प्लांट में कुल शासकीय भूमि रकबा 427.55 एकड़ (173.03 हेक्टेयर) एवं निजी भूमि 4360.35 एकड़ (1764.61 हे.) प्रभावित हो रही है. (ख) अधिग्रहीत की गई भूमि में सिंचित भूमि रकबा 489.80 एकड़ व असिंचित भूमि रकबा 3870.55 एकड़ है.

जिला जांजगीर-चांपा में बाढ़ आपदा योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

3. (क्र. 775) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2012-13 एवं 2013-14 में बाढ़ आपदा योजना अन्तर्गत जांजगीर-चांपा जिले में विभिन्न कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि कौन-कौन से कार्य के लिए प्रदाय की गई है ? इन कार्यों के अद्यतन स्थिति क्या है ? कितने कार्य पूर्ण हुए हैं ? (ख) कौन-कौन से कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है, कब तक प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य पूर्ण कराया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) सत्र 2012-13 एवं 2013-14 में बाढ़ आपदा योजना अन्तर्गत जांजगीर-चांपा जिले में विभिन्न कार्यों हेतु आवंटित राशि का विवरण एवं कार्यों की अद्यतन स्थिति का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. वर्ष 2012-13 के सभी 67 कार्य पूर्ण हुए हैं तथा वर्ष 2013-14 के सभी 42 कार्य अपूर्ण हैं. (ख) वर्तमान में कोई कार्य प्रशासकीय स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है. कार्यों का प्राक्कलन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

जांजगीर-चांपा के अकलतरा तहसील के ग्राम सांकर में नामांतरण में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

4. (क्र. 785) **श्री रोहित कुमार साय** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा तहसील के अंतर्गत ग्राम सांकर में पिछले पांच वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 15-01-2014 तक ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी और जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर नामांतरण करने की शिकायत कब-कब प्राप्त हुई है ? इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा तहसील के ग्राम सांकर में पिछले पांच वित्तीय वर्ष तथा

वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 15-01-2014 तक ग्राम पंचायत द्वारा जीवित व्यक्ति को मृत बताकर नामांतरण करने के बारे में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर के समक्ष केवल एक अपील दिनांक 02-07-2011 को प्राप्त हुई थी. उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है.

जिला कांकेर में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं

5. (क्र. 869) **श्री शंकर ध्रुवा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकेर में जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा कुल कितनी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कहां-कहां पर संचालित हैं तथा उनमें कौन-कौन से व्यवसायों के पाठ्यक्रम में शिक्षा दी जाती है ? संस्था का नाम एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रम एवं उनमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दर्ज हुए छात्र-छात्राओं की संख्या सहित जानकारी देवें ? (ख) उपरोक्त संचालित संस्थाओं में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 में दिनांक 21 जनवरी, 2014 तक कौन-कौन से मद में, कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य हेतु स्वीकृति की गई तथा उससे किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी व्यय की गई ? वर्षवार जानकारी देवें. (ग) क्या उपरोक्त संस्था स्वयं के भवन में संचालित हैं ? यदि नहीं, तो स्वयं का भवन कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जिला कांकेर में जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा कुल 06 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कांकेर में 02, पखांजूर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ एवं चारामा में 01-01 संस्था संचालित है. उनमें संचालित व्यवसायों के पाठ्यक्रम, संस्था का नाम एवं संचालित पाठ्यक्रम में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दर्ज हुये छात्र-छात्राओं (प्रशिक्षणार्थियों) की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) उपरोक्त संचालित संस्थाओं में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 में (21 जनवरी 2014) तक स्वीकृत राशि एवं व्यय की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. (ग) उपरोक्त में से 03 संस्था स्वयं के भवन में, 02 संस्था अन्य शासकीय भवन में एवं 01 संस्था किराये के भवन में संचालित है. जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “स” में दर्शित है. तीनों संस्थाओं के लिये स्वयं के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है. संस्थाओं का भवन निर्माण कब तक पूर्ण होकर उपलब्ध होगा, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला कांकेर में संचालित महाविद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त पदों की पूर्ति

6. (क्र. 870) **श्री शंकर ध्रुवा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकेर में कौन-कौन से शासकीय महाविद्यालय, किस-किस विश्वविद्यालय से संबद्धता के कहां-कहां पर संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” के तहत संचालित महाविद्यालयों में कौन-कौन से संकाय के अध्ययन-अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है तथा क्या उक्त सभी संकाय के प्राध्यापक, सहा. प्राध्यापक उपलब्ध है ? यदि नहीं तो किस-किस संकाय और कब से नहीं है ? (ग) कंडिका “क” के प्राध्यापक, सहा. प्राध्यापकों की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) कांकेर जिले में संचालित निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालय बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर से संबद्ध है :-

1. शास. भानुप्रतापदेव पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर
2. शास. इंदरू केवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
3. शास. महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर
4. शास. वीर गैद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर
5. शास. शहीद गैद सिंह महाविद्यालय, चारामा
6. शास. लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय, अंतागढ़
7. नवीन शास. महाविद्यालय, सरोना
8. शास. नवीन महाविद्यालय, दुर्गकोंदल

(ख) परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

जिला राजनांदगांव में हाऊसिंग बोर्ड द्वारा मकानों का निर्माण

7. (क्र. 893) **श्री भोलाराम साहू** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में जिला राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा किन-किन स्थानों में कौन-कौन से प्रकारों के कितने आवासीय मकानों का निर्माण कितनी संख्या में कराया गया है ? (ख) निर्मित मकानों में कितने मकान बिक्री/आवंटित किये गये हैं ? प्रति मकान विक्रय राशि क्या है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

कृषकों की कृषि भूमि के पेड़ों की कटाई की प्रदत्त अनुमति

8. (क्र. 1023) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों में कितने कृषकों ने अपने स्वामित्व की भूमि के पेड़ को काटने की अनुमति हेतु आवेदन दिया है ? विकासखंडवार ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के प्रकरणों के लिए राज्य शासन का क्या दिशा-निर्देश है ? क्यों प्रकरण के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां तो क्या ? (ग) कंडिका “क” के कितने प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया गया ? कितने शेष हैं ? कब तक निराकरण किया जाएगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जिला रायपुर, बलौदाबाजार तथा गरियाबंद क्षेत्र के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में अपने स्वामित्व की भूमि के पेड़ को काटने की अनुमति हेतु आवेदन देने वाले किसानों की जिलेवार एवं विकासखंडवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. (ख) निजी भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई की अनुमति छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत दी जाती है. उक्त नियमों के नियम 3 (2) के प्रावधानों के तहत प्रकरण का निराकरण करने के लिए 3 माह की समय-सीमा निर्धारित है. (ग) निराकृत तथा शेष प्रकरणों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कालम 5 एवं 6 में दर्शाये अनुसार है. निराकरण का समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

आपदा मद में आवंटित राशि एवं व्यय राशि

9. (क्र. 1027) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपदा मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई थी ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) जिलों को आवंटित राशि में से 21-01-2014 तक जिलों में कितनी राशि व्यय की गई ? कितनी राशि हितग्राहियों को वितरित की गई ? तथा कितनी राशि का निर्माण कार्य कराया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपदा मद में जिलेवार आवंटित राशि का विवरण † संलग्न परिशिष्ट के कालम (3) में दर्शाये अनुसार है. (ख) जिलों को आवंटित राशि में से दिनांक 21-01-2014 तक 9817.74 लाख रुपये व्यय की गई है. व्यय राशि में से 4566.80 लाख रुपये हितग्राहियों को वितरित की गई है तथा 5250.94 लाख रुपये के निर्माण/मरम्मत कार्य कराये गये हैं. विवरण † संलग्न परिशिष्ट के कालम (4) से (6) में दर्शाये अनुसार है.

एन.आर.डी.ए. द्वारा मान. मुख्यमंत्री/राज्यपाल के आवास सह कार्यालय निर्माण हेतु तैयार की गई कार्य योजना

10. (क्र. 1031) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एन.आर.डी.ए. द्वारा मान. मुख्यमंत्री जी तथा मान. राज्यपाल महोदय के आवास सह कार्यालय हेतु भूमि तथा भवन हेतु कोई योजना तैयार की गई है ? (ख) यदि हां तो ड्राइंग, डिजाईन तथा व्यय प्राक्कलन किसके द्वारा तैयार किया गया ? (ग) क्या कोई धन राशि का भुगतान इस प्रयोजन हेतु किया गया है ? यदि हां तो कितनी-कितनी धन राशि का भुगतान हुआ है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय राज्यपाल महोदय के आवास सह कार्यालय के ड्राइंग, डिजाईन तथा प्राक्कलन कार्य, चयनित वास्तुविद फर्म-मेसर्स स्तूप डिजाईन फोरम, 1004 और 5, रहेजा चेम्बर्स, 213, नरीमन पार्क, मुंबई द्वारा तैयार किया जा रहा है. (ग) जी हां. अनुबंध के प्रावधानों अनुसार उपरोक्त प्रथम चरण तक के कार्य हेतु वास्तुविद फर्म को रु. 5.91 लाख का भुगतान किया गया है.

जांजगीर-चाम्पा के ग्राम पंचायत धुरकोट के आश्रित ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही

11. (क्र. 1035) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धुरकोट के आश्रित ग्राम अथवा मोहल्ला मरकाडीह को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु कार्यवाही प्रचलित है ? यदि हां तो कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाएगा ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत धुरकोट के आश्रित मोहल्ला मरकाडीह को पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में परीक्षण की जा रही है. राजस्व ग्राम घोषित करना न्यायालयीन प्रक्रिया होने के कारण समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

जिला जांजगीर-चांपा के शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत पद

12. (क्र. 1036) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जांजगीर-चांपा जिले में कहां-कहां शासकीय महाविद्यालय है ? (ख) स्थापित महाविद्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं एवं इसके विरुद्ध कितने पदस्थ हैं ? कालेजवार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में संचालित शासकीय महाविद्यालयों के नाम एवं स्थान :—

1. शास. ठाकुर छेदीलाल पी.जी. महाविद्यालय, जांजगीर
2. शास. डॉ. इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय, अकलतरा
3. शास. लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय, खरौद
4. शास. मयूरध्वज महादानी राजा पी. जी. महाविद्यालय, चांपा
5. शास. महाविद्यालय, डभरा
6. शास. महाविद्यालय, मालखरौदा
7. शास. जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर
8. शास. क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय, सक्ती
9. शास. महाविद्यालय, जैजैपुर
10. शास. महाविद्यालय, बलौदा
11. शास. नवीन महाविद्यालय, हसौद
12. शास. महाविद्यालय, पामगढ़

(ख) परिशिष्ट पर † संलग्न है.

बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन के तहत केन्द्र से प्राप्त राशि

13. (क्र. 1039) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन हेतु केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2009-10 से 2013-14 में 20-01-2014 तक कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ? शासन ने उक्त राशि में से किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की ? कृपया वर्षवार जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) : प्रदेश में बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन हेतु केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2009-10 से 2013-14 में दिनांक 20-1-2014 तक कुल 56340.50 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है. वर्षवार प्रदाय की गई राशि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कालम (2) में दर्शाये अनुसार है. उक्त राशि के विरुद्ध स्वीकृत कार्यों की मदवार एवं वर्षवार राशि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कालम (5) से (11) में दर्शाये अनुसार है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 1038) के भाग (ख) की जानकारी]

ग्राम गोबरा नवापारा तहसील अभनपुर जिला रायपुर अंतर्गत गृह निर्माण मंडल को आवंटित भूमि ख. नं. 111/2 रकबा 26.248 हे. पर किये गये कब्जाधारियों की सूची

क्रमांक	कब्जाधारी का नाम	पिता का नाम	जाति	रकबा (एकड़ में)	किस वर्ष से काबिज है।
1	2	3	4	5	6
1	हेमन्त कुमार	रामाधार	सोनकर	0.80	उक्त भूमि पर किसान किस वर्ष से काबिज थे, के संबंध में राजस्व रिकार्ड में कोई उल्लेख नहीं है। मौके पर पंचनामा के आधार पर किसानों के द्वारा 20-25 सालों से काबिज होकर अनियमित रूप से कृषि कार्य किया जाना ग्रामवासियों द्वारा बताया गया है।
2	चैतूराम	हिरउ साहू	तेली	0.60	---
3	पचकौड़	दुलार	रावत	2.00	---
4	मनराखन	सोनउ	तेली	0.50	---
5	जयराम	जंगू	तेली	0.50	---
6	रामलाल	ररुहा	तेली	1.00	---
7	लक्ष्मण	झुमुक	कँवट	0.20	---
8	मेहत्तर	हगरु	तेली	2.00	---
9	धनीराम	शिवप्रसाद	तेली	1.80	---

क्रमांक	कब्जाधारी का नाम	पिता का नाम	जाति	रकबा (एकड़ में)	किस वर्ष से काबिज है।
1	2	3	4	5	6
9	धनीराम	शिवप्रसाद	तेली	1.80	---
10	रामलाल	मेहत्तर	तेली	0.50	---
11	नंदकुमार	बिशेशर	सतनामी	1.50	---
12	छननू	अमरु	तेली	0.40	---
13	बृजलाल	हिरामन	कॅवट	0.50	---
14	सेवकराम	पुनउ	गोंड़	0.75	---
15	लक्ष्मण	फूलसिंग	धुव	0.40	---
16	सोनबती	सुखराम	गोंड़	0.75	---
17	मोहन	जगताराम	तेली	0.44	---
18	मोतीलाल		कंडरा	1.00	---
19	नान्हू उर्फ सखाराम		रावत	5.00	---
20	गुनित राम	भीखम	तेली	1.00	---
21	जगताराम	समारु	गोंड़	1.00	---
22	श्रीराम	गंगाराम	तेली	0.50	---
23	मेहत्तरु	घनाराम	तेली	0.50	---
24	सुनहर	खम्हन	तेली	0.35	---
25	घनाराम	खम्हन	तेली	0.75	---
26	बहुर	प्रमु	तेली	0.25	---
27	मंगलू	सुखउ	तेली	0.80	---

क्रमांक	कब्जाधारी का नाम	पिता का नाम	जाति	रकबा (एकड़ में)	किस वर्ष से काबिज है।
1	2	3	4	5	6
28	रमेश	समारु	सतनामी	0.74	—"
29	श्यामलाल	रुपु	तेली	0.25	—"
30	जुगरु	बंशी	सोनकर	0.50	—"
31	मनीराम	शिवप्रसाद	तेली	1.70	—"
32	रामाधार	खेदू	गोंड़	0.50	—"
33	विजय कुमार		सतनामी	0.65	—"
34	खेलनराम	ईतवारी	कुम्हार	1.50	—"
35	राजकुमार	शिवप्रसाद	निषाद	1.00	—"
36	राजोबाई	जगतराम	गोंड़	0.30	—"
37	विक्रम	धनवार	गोंड़	1.25	—"
38	जगदीश	बृजलाल	गोंड़	0.45	—"
39	जितेश	मंगतू	गोंड़	0.50	—"
40	कुलेश्वरी	डेरहा	गोंड़	0.50	—"
41	हेमलाल	ईतवारी	गोंड़	0.40	—"
42	विनोद कुमार	बलीराम	गोंड़	0.75	—"
43	रमशीला	ररुहा	गोंड़	0.40	—"
44	जाराबाई	डहरु (फूलसिंग)	गोंड़	0.52	—"
45	उर्मिला	बुधराम	गोंड़	0.40	—"
46	बुधू	समारु	गोंड़	0.60	—"

क्रमांक	कब्जाधारी का नाम	पिता का नाम	जाति	रकबा (एकड़ में)	किस वर्ष से काबिज है।
1	2	3	4	5	6
47	जगतराम	कोंदा	गोंड	0.45	—”—
48	रजवंतिन	भुजउ	सतनामी	2.25	—”—
49	शिवप्रसाद	रामप्रसाद	सतनामी	0.60	—”—
50	जगतसिंह	बहोरन	सतनामी	1.95	—”—
51	अंजली	थनवार	सतनामी	2.00	—”—
52	रेवउ	खेदू	सतनामी	2.00	—”—
53	छोटकू	थनवार	सतनामी	2.00	—”—
54	पुसउ	थनवार	सतनामी	2.00	—”—
55	सुखेलाल	सोनेलाल	सतनामी	2.00	—”—
56	सुकूल	सोनेलाल	सतनामी	2.00	—”—
57	खोरु	सुनहर	तेली	0.60	—”—
58	सोनउ	गणेश	तेली	0.80	—”—
59	धन्नु	बुधराम	तेली	0.40	—”—
योग	59		अजा-12 अजजा-16 अन्य-31	अजा-20.54 अजजा-9.36 अन्य-27.84 योग 57.75	

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 909) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

मांगवार प्रस्तुत करने की जानकारी

क्र.	क्लेम की राशि				मार्ग का नाम	मार्ग की लंबाई	ब्याज की दर	टीप
	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	अप्रैल 2012 से 31 दिस. 2013 तक	योग				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	66871189	0	निरंक	66871189	राजनांदगांव डोगरगांव मोहला मानपुर महाराष्ट्र सीमा तक	110.59	लाईबोर + 0.60 %	
2	51100845	10375948	निरंक	61476793	राजनांदगांव खैरागढ़ कवर्धा मार्ग	114.58	लाईबोर + 0.60 %	
3	103661736	6699929	निरंक	110361665	पोण्डी पण्डरिया मुंगेली तखतपुर बिलासपुर मार्ग	106.00	लाईबोर + 0.60 %	
4	32355233	45521151	निरंक	81876384	भानुप्रतापपुर नारायणपुर कोण्डागांव मार्ग	141.90	लाईबोर + 0.60 %	
5	199783335	0	निरंक	199783335	अम्बिकापुर धनवार मार्ग (यू.पी. सीमा तक)	105.40	लाईबोर + 0.60 %	
					रामानुजगंज वाड्डफनगर मार्ग			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	92420204	59582301	निरंक	152002505	गरियाबंद बरदुला मार्ग	58.52	लाईबोर + 0.60 %	
7	55545008	21838029	निरंक	77383037	कुम्हारी बेरला बेमेतरा नवागढ़ मुंगेली मार्ग	109.83	लाईबोर + 0.60 %	
8	199568060	42000626	निरंक	241568686	हसौद सरसीवा सरायपाली पदमपुर मार्ग (उड़ीसा सीमा तक)	71.65	लाईबोर + 0.60 %	
9	91357501	निरंक	निरंक	91357501	नांदघाट मुंगेली मार्ग	36.32	लाईबोर + 0.60 %	
10	159903542	निरंक	निरंक	159903542	बलौदाबाजार हतबंद सिमगा मार्ग	51.07	लाईबोर + 0.60 %	
11	34268007	निरंक	निरंक	34268007	अभनपुर राजिम मार्ग राजिम गरियाबंद मार्ग	63.22	लाईबोर + 0.60 %	
12	1544120	निरंक	निरंक	1544120	राजिम फिगेश्वर महासमुंद मार्ग	39.12	लाईबोर + 0.60 %	
13	167818065	16582493	निरंक	184400558	बसना बिलाईगढ़ मार्ग	51.20	लाईबोर + 0.60 %	
14	116375206	166934316	निरंक	283309522	नगरी धमतरी मार्ग	64.72	लाईबोर + 0.60 %	
15	176839349	निरंक	निरंक	176839349	धमतरी गुण्डरदेही मार्ग	38.83	लाईबोर + 0.60 %	
16	24899960	25427939	निरंक	50327899	सुपरविजन कंसलटेंट्स	फेज-1, फेज-2		
योग	1574311360	398962732	निरंक	1973274092				

प्रपत्र "ब"

क्र.	मार्ग का नाम	पैकेज क्र.	पैकेज का नाम	लंबाई	अनुबंध क्र./वर्ष	कार्यादेश का दिनांक	कार्य पूर्णता का दिनांक	कार्य पूर्णता की अवधि (माह में)	निर्मित लंबाई किमी मे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राजनांदगांव डोगरगांव मोहला मानपुर महाराष्ट्र सीमा तक	1	राजनांदगांव (कि.मी. 0) से मोहला (कि.मी. 72.40) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	72.40	11/एडीबी/06/दि. 10/08/2006	10.08.2006	24.09.2009	36 माह	72.40
		2	मोहला (कि.मी. 72.40) से मानपुर (कि.मी. 110.59) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	38.19	12/एडीबी/06/दि. 10/08/2006	10.08.2006	31.10.2008	26 माह	26.50
2	राजनांदगांव खैरागढ़ कवर्धा मार्ग	3	राजनांदगांव (कि.मी. 0) से कुकमेरा (कि.मी. 62.00) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	62.00	03/एडीबी/06/दि. 17/07/2006	20.07.2006	22.06.2009	35 माह	62.00
		4	कुकमेरा (कि.मी. 62.00) से कवर्धा (कि.मी. 114.50) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	52.58	08/एडीबी/06/दि. 07/08/2006	10.08.2006	30.06.2010	24 माह	52.58
3	पोण्डी पण्डरिया मुंगेली तखतपुर बिलासपुर मार्ग	5	बिलासपुर (कि.मी. 0) से मुंगेली (कि.मी. 51.00) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	51.00	06/एडीबी/06/दि. 04/08/2006	05.08.2006	30.06.2010	50 माह	51.00
		6	मुंगेली (कि.मी. 51.00) से पोंडी (कि.मी. 106.00) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	55.00	09/एडीबी/06/दि. 07/08/2006	10.08.2006	30.09.2009	37 माह	55.00
4	भानुप्रतापपुर नारायणपुर कोण्डागांव मार्ग	7-A	भानुप्रतापपुर (कि.मी. 0) से नारायणपुर कोण्डागांव (कि.मी. 141.90) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	141.90	14/एडीबी/06/दि. 29/12/2006	29.12.2006	अपूर्ण		94.50
5	अम्बिकापुर सेमरसोत रामानुजगंज मार्ग (झारखण्ड सीमा तक)	9	अम्बिकापुर (कि.मी. 4.00) से सेमरसोत (कि.मी. 65.00) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	61.00	13/एडीबी/06/दि. 11/08/2006	17.08.2006	04.12.2009	39 माह	61.00
6	अम्बिकापुर धनवार मार्ग (यू.पी. सीमा तक)	10-A	(1) कपसरा (कि.मी. 38.00) से हाथीडांड (कि.मी. 62.00) राजखेड़ा (कि.मी. 83.00) से धनवार (कि.मी. 110.60)	105.40	15/एडीबी/07/दि. 13/03/2007	14.03.2007	20.03.2010	36 माह	51.60
7	रामानुजगंज वाड्डफनगर मार्ग		(2) रामानुजगंज (कि.मी. 0) से वाड्डफनगर (कि.मी. 53.80) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण						55.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	गरियाबंद बरदुला मार्ग	11	गरियाबंद (कि.मी. 86.78) से बारदुला (कि.मी. 145.60) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	58.82	10/एडीबी/06/दि. 07/08/2006	10.08.2006	31.07.2011	59 माह	58.82
9	कुम्हारी बेरला बेमेतरा नवागढ़ मुंगेली मार्ग	12	कुम्हारी (कि.मी. 0) से बेमेतरा (कि.मी. 67.39) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	67.39	04/एडीबी/06/दि. 17/07/2006	20.07.2006	22.06.2009	51 माह	67.39
		13	बेमेतरा (कि.मी. 67.39) से मुंगेली (कि.मी. 109.83) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	42.44	07/एडीबी/06/दि. 07/08/2006	08.08.2006	21.07.2009	53 माह	42.44
10	हसौद सरसीवा सरायपाली पदमपुर मार्ग (उड़ीसा सीमा तक)	3	(अ) हसौद (कि.मी. 0) से सरसीवा (कि.मी. 16) (ब) सरसीवा (कि.मी. 0) से सरायपाली (कि.मी. 35.50) तक (स) सरायपाली (कि.मी. 0) से उड़ीसा बार्डर (कि.मी. 20.15) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	71.65	16/एडीबी/07/दि. 17/12/2007	20.12.2007	04.02.2011	47 माह	71.65
11	नांदघाट मुंगेली मार्ग	4	नांदघाट (कि.मी. 0) मुंगेली (कि.मी. 36.32) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	36.32	17/एडीबी/07/दि. 17/12/2007	20.12.2007	27.09.2010	33 माह	36.32
12	बलौदाबाजार हतबंद सिमगा मार्ग	5	बलौदाबाजार (कि.मी. 0) से हथबंध (कि.मी. 35.08) से सिमगा (कि.मी. 51.07) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	51.07	18/एडीबी/07/दि. 17/12/2007	20.12.2007	31.01.2011	37 माह	51.07
13	रायपुर अमलेश्वर फुण्डा मार्ग	6	फुण्डा (कि.मी. 0) अमलेश्वर (कि.मी. 22.40) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	22.40	19/एडीबी/07/दि. 17/12/2007	20.12.2007	17.12.2009	24 माह	22.46
14	अभनपुर राजिम मार्ग	7	अभनपुर (कि.मी. 27.00) राजिम से (कि.मी. 45.00) गरियाबंद (कि.मी. 90.22) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	63.22	20/एडीबी/07/दि. 17/12/2007	20.12.2007	27.11.2009	24 माह	63.00
15	राजिम गरियाबंद मार्ग					20.12.2007	17.07.2009		
16	राजिम फिगेश्वर महासमुंद मार्ग	8	राजिम (कि.मी. 0) से महासमुंद (कि.मी. 39.12) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	39.12	21 एडीबी/07/दि. 17/12/2007	20.12.2007	20.12.2009	24 माह	39.12
17	बसना बिलाईगढ़ मार्ग	9	बसना (कि.मी. 0) से बिलाईगढ़ (कि.मी. 51.20) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	51.20	24 एडीबी/07/दि. 19/12/2007	20.12.2007	14.04.2011	36 माह	51.20
18	नगरी धमतरी मार्ग	10	धमतरी (कि.मी. 0) से नगरी (कि.मी. 64.72) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	64.72	22 एडीबी/07/दि. 17/12/2007	20.12.2007	30.07.2011	42 माह	64.72
19	धमतरी गुण्डरदेही मार्ग	11	धमतरी (कि.मी. 0) से गुण्डरदेही (कि.मी. 38.83) मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	38.83	23 एडीबी/07/दि. 19/12/2007	20.12.2007	15.10.2010	34 माह	38.83

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 585) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रश्न "अ"

छत्तीसगढ़ के जिन औद्योगिक संस्थानों को जिन्हें राज्य में लौह अयस्क, कोयला एवं बॉक्साइट खनन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति एवं/अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सम्मति प्रदान की गई है, उनकी जानकारी

क्र	औद्योगिक संस्थान का नाम एवं पता	खनिज का प्रकार
1	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गारे IV/4, ग्राम-बाझीखोल, बनखेता, जिला-रायगढ़	कोयला
2	मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड, गारे IV/2, IV/3, कोल माईन्स, ग्राम-लिवरा, जिला-रायगढ़	कोयला
3	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, गारे IV/1, ग्राम-डोंगामहुआ, जिला-रायगढ़	कोयला
4	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गारे पेलमा IV/8, कोल माईन प्रोजेक्ट, ग्राम-करवाही, खम्हरिया, जिला-रायगढ़	कोयला
5	मेसर्स सारडा इनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, करवाही ओपन कास्ट कोल माईन्स, ग्राम-बजरमुड़ा, जिला-रायगढ़	कोयला
6	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमिटेड, अण्डर ग्राउण्ड कोल माईन्स, ग्राम-मिलूपारा, कोंडकेल, जिला-रायगढ़	कोयला
7	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, गारे IV/6, कोल माईनिंग प्रोजेक्ट, ग्राम-तमदरहा, गारे, सराईटोला, जिला-रायगढ़	कोयला
8	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, तिलाईपाली कोल माईन प्रोजेक्ट, ग्राम-तिलाईपाली, जिला-रायगढ़	कोयला
9	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, दुर्गापुर-II, कोल माईन प्रोजेक्ट, ग्राम-दुर्गापुर, बायसी, जिला-रायगढ़	कोयला
10	मेसर्स डी.बी. पॉवर लिमिटेड, दुर्गापुर-II/सरिया कोल ब्लॉक, ग्राम-तराईमार, जिला-रायगढ़	कोयला
11	मेसर्स दल्ली माईन्स (भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई), दल्ली, जिला-बालोद	लौह अयस्क
12	मेसर्स राजहरा माईन्स (भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई), राजहरा, जिला-बालोद	लौह अयस्क
13	मेसर्स महामाया माईन्स (भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई), महामाया, जिला-बालोद	लौह अयस्क
14	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, डोंगरबोर आयरन ओर माईन, ग्राम-डोंगरबोर, जिला-राजनांदगांव	लौह अयस्क
15	मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, बोरिया-टिबू आयरन ओर माईन, ग्राम-बोरिया-टिबू, जिला-राजनांदगांव	लौह अयस्क
16	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ग्राम-मुण्डादादर, केसमर्दा, रब्दा एवं सेमसटा, जिला-कबीरधाम	बॉक्साइट
17	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-चोटिया, तहसील-पोड़ी उपरोड़ा, जिला-कोरबा	कोयला

18	मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, (आरीडोंगरी आयरन ओर माइन्स), तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर	लौह अयस्क
19	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ओपन कॉस्ट आयरन ओर माईनिंग, ग्राम-मेटाबोदली, तहसील-पखान्जूर, जिला-कांकेर	लौह अयस्क
20	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, आयरन ओर माईनिंग, ग्राम-बरबसपुर, जिला-कांकेर	लौह अयस्क
21	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, आयरन ओर माईनिंग, ग्राम-छोटेडोंगर, जिला-नारायणपुर	लौह अयस्क
22	मेसर्स पुष्प स्टील एंड माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-हाहालददी, तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर	लौह अयस्क
23	मेसर्स बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम-हाहालददी, तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर	लौह अयस्क
24	मेसर्स इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम-हाहालददी, तहसील- भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर	लौह अयस्क
25	मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट, आयरन ओर माईन रावघाट, जिला-कांकेर एवं नारायणपुर	लौह अयस्क
26	मेसर्स केशकाल जी.एन. इंडिया, बाक्साइट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम-कुदरवाही, तहसील-केशकाल, जिला-कोण्डागांव	बॉक्साइट
27	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, मैनपाट बॉक्साइट माईन, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा	बॉक्साइट

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार दिनांक 31.12.2013 तक खनिज का उत्खनन प्रारंभ करने वाले औद्योगिक संस्थानों की जानकारी

क्र.	औद्योगिक संस्थान का नाम एवं पता
1	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गारे IV/4, ग्राम-बाड़ीखोल, बनखेता, जिला-रायगढ़
2	मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, गारे IV/2, IV/3, कोल माईन्स, ग्राम-लिबरा, जिला-रायगढ़
3	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, गारे IV/1, ग्राम-डोंगामहुआ, जिला-रायगढ़
4	मेसर्स सारडा इनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, करवाही ओपन कास्ट कोल माईन्स, ग्राम-वजरमुड़ा, जिला-रायगढ़
5	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमिटेड, अण्डर ग्राउण्ड कोल माईन्स, ग्राम-मिलूपारा, कोंडकेल, जिला-रायगढ़
6	मेसर्स दल्ली माईन्स (भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई), दल्ली, जिला-बालोद
7	मेसर्स राजहरा माईन्स (भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई), राजहरा, जिला-बालोद
8	मेसर्स महामाया माईन्स (भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई), महामाया, जिला-बालोद
9	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, डोंगरबोर आयरन ओर माईन, ग्राम-डोंगरबोर, जिला-राजनांदगांव
10	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ग्राम-मुण्डादादर, केसमर्दा, रब्दा एवं सेमसटा, जिला-कबीरधाम
11	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-चोटिया, तहसील-पोड़ी उपरोड़ा, जिला-कोरबा
12	मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, (आरीडोंगरी आयरन ओर माईन्स), तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर, कांकेर
13	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ओपन कास्ट आयरन ओर माईनिंग, ग्राम-मेटाबोदली, तहसील-पखान्जूर, जिला-कांकेर
14	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, मैनपाट बॉक्साइट माईन, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 1029) के भाग (ग) की जानकारी]

प्रशिक्षण अधिकारी के भर्ती के संबंध में प्राप्त शिकायतों में अनियमितताओं का विषय एवं शिकायत किनके द्वारा की गई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई, का विवरण

क्रमांक	शिकायतों में अनियमितताओं का विषय	शिकायत किनके द्वारा की गई,	उन पर क्या कार्यवाही की गई उसका विवरण
1	2	3	4
1.	विभाग के सभी कार्य कलापों के साथ-साथ भर्ती में अव्यवस्था के संबंध में गुमनाम शिकायत।	गुमनाम शिकायत राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छ.ग.रायपुर के माध्यम से प्राप्त हुई।	शिकायत के बिन्दुओं के संबंध में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रतिवेदन चाहा गया था अतः शिकायतों पर प्रतिवेदन संचालनालय पत्र क्रमांक 5742 दिनांक 30.11.2013 द्वारा भेजा गया। शिकायत में कोई तथ्य नहीं पाया गया।
2.	प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग-3 के 723 पदों की भर्ती में 06 एस.सी.व्ही.टी. उम्मीदवारों के चयनित कर लिये जाने के संबंध में।	(1) श्री हेमन्त राठौर, सरहर, बाराद्वार एवं श्रीमती मंजुशा चन्द्रा, बिल्हाडीह मालखरौदा(माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर की याचिका क्रमांक डब्लू.पी. (एस)1073/2013के माध्यम से) (2) दैनिक समाचार पत्र "नई दुनिया 19 अक्टूबर 2013" एवं अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से। (3) श्री मनोज कुमार तिवारी रिसाली भिलाई जिला-दुर्ग (राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से प्राप्त)	शिकायत से संबंधित 06 अभ्यर्थियों की अंकसूचियों (अस्थायी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र) की जाँच सचिव स्टेट बोर्ड ऑफ एकजामिनेशन छ.ग.रायपुर से कराई गई। जिसके अनुसार शिकायत असत्य पाई गई। सभी 06 अभ्यर्थी एन.सी.व्ही.टी. के अंतर्गत अंक सूची (अस्थायी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र) धारी पाये गये।
.	एक आवेदक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का पूर्णांक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि होने के संबंध में।	श्री राकेश कुमार गुप्ता द्वारा राज्य सूचना आयोग रायपुर।	आवेदक श्री बुन्दलाल एवं स्कूटनी समिति के सदस्यों को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 1004) के भाग (ख) की जानकारी]

बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त अधोसंरचनाओं की आपदा राहत निधि मद से स्वीकृत कार्यों का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्रमांक	स्वीकृत कार्य का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड / विधान सभा क्षेत्र का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	कार्य एजेन्सी
1	2	3	4	5	7	8
1	उदयपुर जलाशय स्लूस गेट मरम्मत कार्य	उदयपुर	उदयपुर	छुईखदान / खैरागढ़	5.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान
2	पदमावतीपुर जलाशय -मजबूतीकरण कार्य	पदमावतीपुर	पदमावतीपुर	छुईखदान / खैरागढ़	19.23	
3	नांदिया स्टाप डेम सह पुलिया मरम्मत कार्य	नांदिया	नांदिया	छुईखदान / खैरागढ़	2.12	
4	खौड़ा स्टाप डेम सह पुलिया मरम्मत कार्य	खौड़ा	खौड़ा	छुईखदान / खैरागढ़	1.32	
5	डोंगरगांव वितरक नहर का सुधार एवं सुदृढीकरण कार्य	मोहड़	मोहड़	डोंगरगांव / डोंगरगांव	9.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव
6	बघेरा जलाशय का नहर मरम्मत कार्य	बघेरा	बघेरा	राजनांदगांव / डोंगरगढ़	6.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव
7	रूसे जलाशय (मध्यम योजना) मुख्य नहर की तात्कालिक मरम्मत	छछानपहारी, महारूमकला, घुमका	सिंगारपुर	खैरागढ़ / डोंगरगढ़	9.93	
	योग				54.12	

(अक्षरी रूपये चौवन लाख बारह हजार मात्र)

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 730) के भाग (क) की जानकारी]

बस्तर जिले में वृहद इस्पात संयंत्र परियोजना हेतु टाटा स्टील प्रोजेक्ट को तहसील लोहणडीगुड़ा के अंतर्गत संयंत्र स्थापना हेतु 10 ग्रामों के निजी भूमि स्वामियों की भूमि अधिग्रहण की गई है. जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र०	ग्राम का नाम	कुल खातेदारों की संख्या	मुआवजा प्राप्त खातेदारों की संख्या	मुआवजा भुगतान हेतु शेष खातेदारों की संख्या	अर्जित की गई भूमि का रकबा
1	बड़ाजी	262	142	120	308.73
2	बड़ेपरोदा	122	122	0	149.06
3	बेलर	149	62	87	213.95
4	बेलियापाल	185	179	6	141.68
5	छिंदगांव	71	69	2	52.68
6	दाबपाल	212	129	83	209.49
7	धुरागांव	225	191	34	276.45
8	कुम्हली	131	128	3	62.14
9	सिरिसगुड़ा	161	92	69	165.09
10	टाकरागुड़ा	189	51	138	185.34
	योग-	1707	1165	542	1764.61

अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों की मकान की सूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	निजी भूमि पर निर्मित मकान	शासकीय भूमि पर निर्मित मकान	योग
1	बड़ांजी	21	4	25
2	कुम्हली	1	11	12
3	बेलर	4		4
4	टाकरागुड़ा	2		2
5	बेलियापाल	1		1
6	बडेपरोदा	1	1	2
7	दाबपाल	20	2	22
8	घुरागांव	4	15	19
योग		54	33	87

टिप:- ग्राम कुम्हली में 1 प्रा.शा. 1 मा.शा. शासकीय भूमि पर निर्मित है।

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1021) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

उरला, सिलतरा एवं आसपास के क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित इस्पात संयंत्रों एवं विद्युत उत्पादन संयंत्रों का उत्पादन क्षमता सहित विवरण

क्र. (1)	उद्योग का नाम व पता (2)	उत्पादन क्षमता (3)
1	मे0 सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर	स्पंज आयरन - 4,60,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट - डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं कोल बेस्ड - 81.5 मेगावाट
2	मे0 गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर	स्पंज आयरन - 4,95,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट- डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं कोल बेस्ड- 53 मेगावाट, बायोमास बेस्ड पॉवर प्लांट- 20 मेगावाट
3	मे0 वंदना ग्लोबल लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	स्पंज आयरन - 2,31,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट- डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं कोल बेस्ड- 38 मेगावाट
4	मे0 एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन - 2,70,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट- डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं कोल बेस्ड- 85 मेगावाट
5	मे0 महेन्द्रा स्पंज एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	स्पंज आयरन - 60,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट- डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं कोल बेस्ड- 08 मेगावाट
6	मे0 एन.आर. स्पंज प्राइवेट लिमिटेड ग्राम बहेसर, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन - 90,000 टन/वर्ष
7	मे0 श्री नकोड़ा इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	स्पंज आयरन - 1,71,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट- डब्ल्यू.एच.आर.बी.- 14 मेगावाट, बायोमास बेस्ड पॉवर प्लांट - 5 मेगावाट
8	मे0 बलदेव एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन - 60,000 टन/वर्ष , पॉवर प्लांट- डब्ल्यू. एच.आर.बी. एवं कोल बेस्ड- 08 मेगावाट
9	मे0 एस.के. सरावगी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	स्पंज आयरन - 60,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट -डब्ल्यू.एच.आर.बी.-5 मेगावाट
10	मे0 गगन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड मुरेठी, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन - 30,000 टन/वर्ष
11	मे0 रश्मि स्पंज आयरन एंड पॉवर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन-66,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट- डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं कोल बेस्ड- 08 मेगावाट
12	मे0 इंडियन स्टील एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम चरौदा, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन - 30,000 टन/वर्ष
13	मे0 आरती स्पंज एंड पॉवर लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन - 60,000 टन/वर्ष
14	मे0 गोपाल स्पंज एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन - 60,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट- डब्ल्यू.एच.आर.बी.- 4.5 मेगावाट

15	मे0 महामाया स्पंज ऑयरन प्राईवेट लिमिटेड, फेज़-1, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन – 30,000 टन / वर्ष
16	मे0 श्री पी.डी. इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन – 60,000 टन / वर्ष
17	मे0 अग्रवाल स्पंज लिमिटेड सिलतरा ग्रोथ सेंटर, फेज़-2, रायपुर	स्पंज आयरन – 60,000 टन / वर्ष
18	मे0 श्री हरेकृष्णा स्पंज ऑयरन लिमिटेड, सिलतरा, फेज़-2, रायपुर	स्पंज आयरन – 36,050 टन / वर्ष
19	मे0 जी.आर. स्पंज एंड पॉवर लिमिटेड सिलतरा, फेज़-2, रायपुर	स्पंज आयरन – 73,500 टन/वर्ष पॉवर प्लांट– डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं कोल बेस्ड– 08 मेगावाट
20	मे0 सुनील स्पंज प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, फेज़-2, रायपुर	स्पंज आयरन – 60,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट – डब्ल्यू.एच.आर.बी.– 6 मेगावाट
21	मे0 घनकुन स्टील प्राईवेट लिमिटेड ग्राम सोण्ड्रा, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन – 75,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट – डब्ल्यू.एच.आर.बी. – 1 मेगावाट
22	मे0 देवी ऑयरन एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम टाडा, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन – 90,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट – डब्ल्यू.एच.आर.बी. – 7.5 मेगावाट
23	मे0 जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (पूर्व नाम मे0 अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) ग्राम-गिरौद, रायपुर	स्पंज आयरन – 1,20,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट– डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं कोल बेस्ड– 15 मेगावाट
24	मे0 वासवानी इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड सोण्ड्रा, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन–90,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट– डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं कोल बेस्ड– 11.5 मेगावाट
25	मे0 यूरो प्रतीक इस्पात प्राईवेट लिमिटेड ग्राम टाडा, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन – 30,000 टन/वर्ष
26	मे0 भगवती पॉवर एंड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन – 66,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट– डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं कोल बेस्ड– 10 मेगावाट
27	मे0 ए.पी.आई. इस्पात एंड पॉवरटेक प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन – 1,05,000 टन / वर्ष पॉवर प्लांट– डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं कोल बेस्ड– 15 मेगावाट
28	मे0 त्रिमूला स्पंज ऑयरन प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन – 33,000 टन / वर्ष
29	मे0 रायमाता इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड ग्राम चरौदा, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन – 7,500 टन / वर्ष
30	मे0 जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (पूर्व नाम मे0 कॉर्पोरेट इस्पात एलॉयज़ लिमिटेड) ग्राम-गिरौद, रायपुर	स्पंज आयरन – 1,50,000 टन / वर्ष पॉवर प्लांट– डब्ल्यू.एच.आर.बी.– 12 मेगावाट
31	मे0 रामनिवास इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन – 7,500 टन/वर्ष
32	मे0 श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड, ग्राम-बोरझारा, उरला-गुमा रोड, रायपुर	स्पंज आयरन –2,10,000 टन/वर्ष पॉवर प्लांट– डब्ल्यू.एच.आर.बी. – 18 मेगावाट, बॉयोमास बेस्ड पॉवर प्लांट – 8 मेगावाट

33	मे0 ग्रेविटी ट्रेकिजम प्राईवेट लिमिटेड ग्राम अछोली, रायपुर	स्पंज आयरन – 15,000 टन/वर्ष
34	मे0 शिवालय इस्पात एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कारा, गुमा उरला, रायपुर	स्पंज आयरन – 90,000 टन/वर्ष
35	मे0 श्री सीता इस्पात एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम बोरझरा, गुमा-उरला रोड, रायपुर	स्पंज आयरन – 30,000 टन /वर्ष
36	मे0 सत्यार्थ स्टील एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बोरझरा, रायपुर	स्पंज आयरन – 30,000 टन /वर्ष
37	मे0 रियल इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड बोरझरा, उरला, रायपुर	स्पंज आयरन – 60,000 टन /वर्ष पावर प्लांट- डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं कोल बेस्ड- 13 मेगावाट
38	मे0 शिल्फी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-सरोरा, रायपुर	स्पंज आयरन – 45,000 टन /वर्ष
39	मे0 ड्रोलिया इलेक्ट्रोस्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	स्पंज आयरन – 66,000 टन/वर्ष पावर प्लांट- डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं कोल बेस्ड- 11 मेगावाट
40	मे0 जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेज-1, जिला-रायपुर	पिग आयरन – 6,50,000 टन/वर्ष

**उरला, सिलतरा एवं आसपास के क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की
उत्पादन क्षमता सहित विवरण**

क्रमांक	उद्योग का नाम व पता	उत्पादन क्षमता (मेगावाट में)
1	मे0 इण्डसील एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल्स लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	11
2	मे0 आलोक फेरो एलॉयज लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	08
3	मे0 हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड, यूनिट-2 औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	20
4	मे0 हीरा पावर एंड स्टील लिमिटेड (पावर प्लांट) यूनिट-2 औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	20
5	मे0 जगदम्बा पावर एंड एलॉयज लिमिटेड ग्राम-मुरैठी, सिलतरा फेज-2, रायपुर	25
6	मे0 माँ ऊषा ऊर्जा लिमिटेड ग्राम गिरौद, जिला रायपुर	7.5
7	मे0 श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड (पूर्व नाम मे0 श्री बजरंग मेटेलिक्स एण्ड पावर लि0) उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, रायपुर	16

प्रपत्र "ब"

उरला, सिलतरा एवं आसपास के क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित कोयला आधारित स्पंज ऑयरन संयंत्रों एवं विद्युत उत्पादन संयंत्रों में ईंधन खपत एवं जनित अपशिष्ट का विवरण

क्र०	उद्योग का नाम	प्रतिदिन औसतन कोयला खपत की मात्रा (टन में)		प्रतिदिन औसतन जनित राखड़/डस्ट की मात्रा (टन में)	
		स्पंज ऑयरन	पॉवर प्लांट	स्पंज ऑयरन	पॉवर प्लांट
1	मे० सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर	1440	1280	84	440
2	मे० गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर	2200	235	154	80
3	मे० वंदना ग्लोबल लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	840	510	49	175
4	मे० एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	1100	1280	63	440
5	मे० ड्रोलिया इलेक्ट्रोस्टील्स प्रा. लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	240	130	14	45
6	मे० महेन्द्रा स्पंज एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	240	85	14	30
7	मे० एन.आर. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड ग्राम बहेसर, सिलतरा, रायपुर	360	—	21	—
8	मे० श्री नकोडा इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	660	—	38	—
9	मे० बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	240	43	14	15
10	मे० एस.के. सरावगी एंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	240	—	14	—
11	मे० गगन रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड. मुरेठी, सिलतरा, रायपुर	120	—	7	—
12	मे० रश्मि स्पंज ऑयरन एंड पॉवर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	240	86	14	30
13	मे० इंडियन स्टील एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम चरौदा, सिलतरा, रायपुर	120	—	7	—
14	मे० आरती स्पंज एंड पॉवर लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	240	—	14	—
15	मे० गोपाल स्पंज एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	240	—	14	—
16	मे० महामाया स्पंज ऑयरन प्राईवेट लिमिटेड फेज-1, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	120	—	7	—
17	मे० श्री पी.डी. इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	240	—	14	—
18	मे० अग्रवाल स्पंज लिमिटेड सिलतरा ग्रोथ सेंटर, फेज-2, रायपुर	240	—	14	—
19	मे० श्री हरेकृष्णा स्पंज ऑयरन लिमिटेड सिलतरा, फेज-2, रायपुर	120	—	7	—
20	मे० जी.आर. स्पंज एंड पॉवर लिमिटेड सिलतरा, फेज-2, रायपुर	240	86	14	30
21	मे० सुनील स्पंज प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, फेज-2, रायपुर	240	—	14	—
22	मे० घनकृष्ण स्टील प्राईवेट लिमिटेड ग्राम सोण्डा, सिलतरा, रायपुर	300	—	17	—
23	मे० देवी ऑयरन एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम टाडा, सिलतरा, रायपुर	360	—	21	—

24	मे0 जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्व नाम मे0 अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) ग्राम-गिरौद, रायपुर	420	160	24	56
25	मे0 वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सोण्ड्रा, सिलतरा, रायपुर	360	54	21	18
26	मे0 यूरो प्रतीक इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ग्राम टाडा, सिलतरा, रायपुर	120	—	7	—
27	मे0 भगवती पॉवर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	240	86	14	30
28	मे0 ए.पी.आई. इस्पात एंड पॉवरटेक प्राइवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	420	150	24	50
29	मे0 त्रिमूला स्पंज ऑयरन प्राइवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	120	—	7	—
30	मे0 रायमाता इस्पात (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ग्राम चरौदा, सिलतरा, रायपुर	30	—	2	—
31	मे0 जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्व नाम मे0 कॉर्पोरेट इस्पात एलॉयज लिमिटेड) ग्राम-गिरौद, रायपुर	600	170	35	60
32	मे0 रामनिवास इस्पात प्राइवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	30	—	2	—
33	मे0 श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड बोरझरा, उरला-गुमा रोड, रायपुर	840	—	49	—
34	मे0 ग्रेविटी ट्रेकिजम प्राइवेट लिमिटेड ग्राम अछोली, रायपुर	60	—	3	—
35	मे0 शिवालय इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड ग्राम-कारा, गुमा उरला, रायपुर	360	—	21	—
36	मे0 श्री सीता इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड ग्राम बोरझरा, गुमा-उरला रोड, रायपुर	120	—	7	—
37	मे0 सत्यार्थ स्टील एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड बोरझरा, रायपुर	120	—	7	—
38	मे0 रियल इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड बोरझरा, उरला, रायपुर	240	150	14	50
39	मे0 शिल्फी स्टील प्राइवेट लिमिटेड बोरझरा, उरला, रायपुर	180	—	10	—

उरला, सिलतरा एवं आसपास के क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों में ईंधन खपत एवं जनित अपशिष्ट का विवरण

क्रमांक	उद्योग का नाम व पता	प्रतिदिन औसतन कोयला खपत की मात्रा (टन में)	प्रतिदिन औसतन जनित राखड़/ डस्ट की मात्रा (टन में)
1	मे0 इण्डसील एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (पॉवर प्लांट) औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	235	80
2	मे0 आलोक फेरोएलॉयज लिमिटेड (पॉवर प्लांट) औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	170	60
3	मे0 हीरा फेरोएलॉयज लिमिटेड, यूनिट-2 (पॉवर प्लांट) औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	430	150
4	मे0 हीरा पॉवर एंड स्टील लिमिटेड, यूनिट-2 (पॉवर प्लांट) (पूर्व नाम-मे0 जैन कॉर्बाइड एंड केमिकल्स लि.) औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	430	150
5	मे0 जगदम्बा पॉवर एंड एलॉयज लिमिटेड मुरैठी, सिलतरा फेज-2, रायपुर	540	190
6	मे0 श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड (पूर्व नाम - मे0 श्री बजरंग मेटेलिक्स एंड पॉवर लिमिटेड) उरला इण्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स, रायपुर	340	120

उरला, सिलतरा एवं आसपास के क्षेत्र में स्थापित बाँयोमास आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों
में ईंधन खपत एवं जनित अपशिष्ट का विवरण

क्रमांक	उद्योग का नाम व पता	प्रतिदिन औसतन ईंधन खपत की मात्रा (टन/दिन)	प्रतिदिन औसतन जनित राखड़/डस्ट की मात्रा (टन/दिन)
1	मे० माँ ऊषा ऊर्जा लिमिटेड ग्राम गिरौद, जिला रायपुर	बाँयोमास – 141 कोयला – 56	48
2	मे० गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर	बाँयोमास – 420 कोयला – 50	180
3	मे० श्री नकोड़ा इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	बाँयोमास – 102 कोयला – 18	35
4	मे० श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड ग्राम-बोरझरा, उरला-गुमा रोड, रायपुर	बाँयोमास – 265	60

प्रपत्र "स"

उरला, सिलतरा एवं आसपास के क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित स्पंज आयरन संयंत्रों एवं विद्युत उत्पादन संयंत्रों से जनित राखड़/डस्ट के प्रबंधन की व्यवस्था

क्र.	उद्योग का नाम	राखड़/डस्ट के अपवहन व्यवस्था
1	मे0 सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर	ईट निर्माण में, अन्य ईट निर्माताओं को, आपसी सहमति से भूमि भरण तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
2	मे0 गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को, आपसी सहमति से भूमि भरण, सड़क निर्माण तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
3	मे0 वंदना ग्लोबल लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को, आपसी सहमति से भूमि भरण तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
4	मे0 एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	ईट निर्माण में तथा आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
5	मे0 ड्रोलिया इलेक्ट्रोस्टीलस प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	ईट निर्माण में तथा अन्य ईट निर्माताओं को प्रदायित किया जा रहा है।
6	मे0 महेन्द्रा स्पंज एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	ईट निर्माण में, आपसी सहमति से भूमि भरण तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
7	मे0 एन.आर. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड ग्राम बहेसर, सिलतरा, रायपुर	स्वयं की भूमि में भूमि भरण हेतु उपयोग किया जा रहा है।
8	मे0 श्री नकोडा इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	स्वयं की भूमि में भूमि भरण तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
9	मे0 बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को, स्वयं की भूमि में भूमि भरण तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
10	मे0 एस.के. सरावगी एंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
11	मे0 गगन रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड मुरेठी, सिलतरा, रायपुर	स्वयं की भूमि में भूमि भरण हेतु उपयोग किया जा रहा है।
12	मे0 रश्मि स्पंज ऑयरन एंड पॉवर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को तथा आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
13	मे0 इंडियन स्टील एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम चरौदा, सिलतरा, रायपुर	भूमि भरण हेतु उपयोग किया जा रहा है।
14	मे0 आरती स्पंज एंड पॉवर लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
15	मे0 गोपाल स्पंज एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को तथा आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
16	मे0 महामाया स्पंज ऑयरन प्राईवेट लिमिटेड फेज-1, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	भूमि भरण हेतु उपयोग किया जा रहा है।
17	मे0 श्री पी.डी. इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
18	मे0 अग्रवाल स्पंज लिमिटेड सिलतरा ग्रोथ सेंटर, फेज-2, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को तथा आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
19	मे0 श्री हरेकृष्णा स्पंज ऑयरन प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, फेज-2, रायपुर	आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
20	मे0 जी.आर. स्पंज एंड पॉवर लिमिटेड सिलतरा, फेज-2, रायपुर	ईट निर्माण में, अन्य ईट निर्माताओं को, आपसी सहमति से भूमि भरण तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
21	मे0 सुनील स्पंज प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, फेज-2, रायपुर	भूमि भरण हेतु उपयोग किया जा रहा है।
22	मे0 घनकून स्टील प्राईवेट लिमिटेड ग्राम सोण्ड्रा, सिलतरा, रायपुर	आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।

23	मे0 देवी ऑयरन एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम टाडा, सिलतरा, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को तथा आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
24	मे0 जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड गिरौद, सिलतरा, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को तथा आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
25	मे0 वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सोण्ड्रा, सिलतरा, रायपुर	ईट निर्माण में, अन्य ईट निर्माताओं को तथा आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
26	मे0 यूरो प्रतीक इस्पात प्राईवेट लिमिटेड ग्राम टाडा, सिलतरा, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को प्रदायित किया जा रहा है।
27	मे0 भगवती पॉवर एंड स्टील प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को, आपसी सहमति से भूमि भरण तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
28	मे0 ए.पी.आई. इस्पात एंड पॉवरटेक प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को तथा आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
29	मे0 त्रिमूला स्पंज ऑयरन प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	स्वयं की भूमि में भूमि भरण हेतु उपयोग किया जा रहा है।
30	मे0 रायमाता इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड ग्राम चरौदा, सिलतरा, रायपुर	भूमि भरण हेतु उपयोग किया जा रहा है।
31	मे0 जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्व नाम – मे0 कॉर्पोरेट इस्पात एंड एलॉयज लिमिटेड) सिलतरा, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को तथा आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
32	मे0 रामनिवास इस्पात प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	स्वयं की भूमि में भूमि भरण हेतु उपयोग किया जा रहा है।
33	मे0 श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड बोरझरा, गुमा – उरला रोड, रायपुर	ईट निर्माण में, अन्य ईट निर्माताओं को तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
34	मे0 ग्रेविटी ट्रेकिजम प्राईवेट लिमिटेड ग्राम अछोली, रायपुर	आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
35	मे0 शिवालय इस्पात एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-कारा, गुमा उरला, रायपुर	ईट निर्माण में तथा अन्य ईट निर्माताओं को प्रदायित किया जा रहा है।
36	मे0 श्री सीता इस्पात एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम बोरझरा, गुमा-उरला रोड, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को प्रदायित किया जा रहा है।
37	मे0 सत्यार्थ स्टील एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड बोरझरा, रायपुर	स्वयं की भूमि में भूमि भरण हेतु उपयोग किया जा रहा है।
38	मे0 रियल इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड बोरझरा, उरला, रायपुर	ईट निर्माण में तथा अन्य ईट निर्माताओं को प्रदायित किया जा रहा है।
39	मे0 शिल्फी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड बोरझरा, उरला, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को प्रदायित किया जा रहा है।
40	मे0 इण्डसील एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (पॉवर प्लांट) औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	ईट निर्माण में तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
41	मे0 आलोक फेरोएलॉयज लिमिटेड (पॉवर प्लांट) औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
42	मे0 हीरा फेरोएलॉयज लिमिटेड, यूनिट-2 (पॉवर प्लांट) औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
43	मे0 हीरा पॉवर एंड स्टील लिमिटेड, यूनिट-2 (पॉवर प्लांट) (पूर्व नाम-मे0 जैन कॉर्बाइंड एंड केमिकल्स लि.) औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
44	मे0 जगदम्बा पॉवर एंड एलॉयज लिमिटेड मुरैठी, सिलतरा फेज-2, रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
45	मे0 माँ ऊषा ऊर्जा लिमिटेड ग्राम गिरौद, जिला रायपुर	अन्य ईट निर्माताओं को तथा आपसी सहमति से भूमि भरण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।
46	मे0 श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड (पूर्व नाम – मे0 श्री बजरंग मेटेलिक्स एंड पॉवर लिमिटेड) उरला इण्डस्ट्रीयल काम्प्लेक्स, रायपुर	ईट निर्माण में, अन्य ईट निर्माताओं को तथा सीमेंट निर्माण हेतु प्रदायित किया जा रहा है।

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 629) के भाग (क) की जानकारी]

रायपुर जिले के ग्राम नरदहा में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा आवासीय योजना के तहत निम्नानुसार भवन बनाया जाना प्रस्तावित है :—

क्रं	भवनों का प्रकार	भवनों की संख्या
1.	एच.आई.जी - I	08
2.	एच.आई.जी - II	12
3.	एम.आई.जी	15
4.	एम.आई.जी डूप्लेक्स	48
5.	एल.आई.जी फ्लैट्स (एस+4)	128
6.	ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स (जी+3)	384
	कुल	595

अतारंकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "नौ"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 477) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अमनपुर एवं नया रायपुर विशेष क्षेत्र में अमनपुर विधानसभा में सम्मिलित ग्रामों की सूची

1. अमनपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों की सूची :-

क्र.	ग्रामों का नाम
01.	अमनपुर
02.	बिरौंदा
03.	उरला
04.	गिरहोला
05.	बेलभाठा
06.	गातापार
07.	टोकरों
08.	नायेकबांधा
09.	सतापारा
10.	गोतियारडीह
11.	आमनेर
12.	बवतरा
13.	टेलकाबांधा
14.	खोला

2. नया रायपुर विशेष क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों की सूची :-

क्र.	ग्रामों का नाम
1.	निमोरा
2.	बेन्दी
3.	केन्द्री
4.	उपरवारा
5.	खण्डवा
6.	झांकी
7.	भेलवाडीह
8.	तेंदुआ
9.	पोता
10.	चेरिया
11.	बंजारी
12.	कुरू
13.	पचेड़ा
14.	परसट्टी
15.	मुड़पार
16.	तूता

प्रपत्र "ब"

अमनपुर निवेश क्षेत्र एवं नया रायपुर विशेष क्षेत्र में अमनपुर विधान सभा के सम्मिलित ग्रामों में वर्ष 2012 एवं 2013 में जारी विकास अनुज्ञाओं की सूची :-

वर्ष 2012

अनु. क्र.	ग्राम	संस्था/आवंटित संस्था / फर्म / समिति या अन्य आवेदक का नाम	उपयोग	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5
1	अमनपुर	श्री नीलज सेन गुप्ता, लार्सन एंड टर्बो लिमि., ई 72/73, से.-5, देवेन्द्र नगर	औद्योगिक	12.70
2	गोतियारडीह	मे. बालाजी बिल्डकान द्वारा पार्टनर संदीप सोनी, जयराम काम्प्लेक्स, शारदा चौक रायपुर	आवासीय	3.382
3	झांकी	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0	पेट्रोल पंप	0.05
4	उपरवारा	वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन,	हास्पीटल	3.35
5	कुरू	किशोर कुमार लाल, रायपुर	पेट्रोल पंप	0.20
6	उपरवारा	श्री रविन्द्र मरघड़े, उप महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. सीपत सुपर थरमल पावर प्रोजेक्ट, रायपुर	शैक्षणिक एवं आवासीय	10.11
7	तूता	उप महाप्रबंधक, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर	ऑफिस काम्प्लेक्स	26.658

वर्ष 2013

1	गातापार	श्रीमति संगीता राय पति श्री संजय राय	व्यसायिक (पेट्रोल पंप)	0.27
2	अमनपुर	संजय कुमार गोयल पिता श्री किषन लाल अग्रवाल	पेट्रोल पंप	0.111
3	उरला (अमनपुर)	जितेन्द्र कुमार राठी पिता श्री धेवरचंद राठी	आवासीय	0.017
4	उरला (अमनपुर)	श्री रानूलाल राठी पिता ईधर लाल राठी	आवासीय	0.017
5	अमनपुर	संजय साधवानी पिता सीरूमल साधवानी	आवासीय	3.353
6	उरला (अमनपुर)	विजय कुमार जैन पिता कृष्ण लाल जैन समता कालोनी,	औद्योगिक	0.172
7	गोतियारडीह	अमनपुर कालोनी बिजली आफिस के पास	पेट्रोल पंप	0.35
8	अमनपुर	मे. वालफोर्ट, प्रापट्रीज प्रा.लि. डाय.-पंकज लाहोटी, पिता-मूलचंद लाहोटी, 204-205 वालफोर्ट ओजोन, फाफाडीह, चौक	आवासीय	12.17
9	तुता	विसा अर्बन इन्फ्रा	स्टार होटल	5.00
10	झांकी	करनैल सिंग भाटिया,	पेट्रोल पंप	0.40
11	वेन्द्री	श्रीमती शोमा शिवराज सिंह ठाकुर	पेट्रोल पंप	0.504

परिशिष्ट "दस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 775) के भाग (क) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत कार्यों की सूची

(राशि लाख रु. में)

स.क.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अद्यतन स्थिति
01	02	03	04	05	06
1	मालखरौदा	छपोरा	नाली निर्माण कार्य	8.00	पूर्ण
2		छपोरा	सी0सी0रोड का कार्य भाग-1	4.50	पूर्ण
3		छपोरा	सी0सी0रोड का कार्य भाग-2	4.50	पूर्ण
4		किरारी	सी0सी0रोड का कार्य भाग-1	4.50	पूर्ण
5		किरारी	सी0सी0रोड का कार्य भाग-2	4.50	पूर्ण
6		अमेराडीह	सी0सी0रोड का कार्य	4.50	पूर्ण
7		सतयढ	सी0सी0रोड का कार्य	4.50	पूर्ण
8		रनपोटा	सी0सी0रोड का कार्य भाग-1	4.50	पूर्ण
9		रनपोटा	सी0सी0रोड का कार्य भाग-2	4.50	पूर्ण
10		चिखली	सी0सी0रोड का कार्य भाग-1	4.50	पूर्ण
11		चिखली	सी0सी0रोड का कार्य भाग-2	4.50	पूर्ण
12		सिंघरा	सी0सी0रोड का कार्य भाग-1	4.50	पूर्ण
13		सिंघरा	सी0सी0रोड का कार्य भाग-2	4.50	पूर्ण
14		अमलीडीह	सी0सी0रोड का कार्य भाग-1	4.50	पूर्ण
15		अमलीडीह	सी0सी0रोड का कार्य भाग-2	4.50	पूर्ण
16		अमलीडीह	मुरुमीकरण का कार्य	4.50	पूर्ण
17		महुलडीह	सी0सी0रोड का कार्य	4.50	पूर्ण
18		कटारी	सी0सी0रोड का कार्य भाग-1	4.50	पूर्ण
19		कटारी	सी0सी0रोड का कार्य भाग-2	4.50	पूर्ण
20		मुडपार	सी0सी0रोड का कार्य	4.50	पूर्ण
21		भेडीकोना	सी0सी0रोड का कार्य	4.50	पूर्ण
22		देवगांव	सी0सी0रोड का कार्य भाग-1	4.50	पूर्ण
23		देवगांव	सी0सी0रोड का कार्य भाग-2	4.50	पूर्ण
24		मरघटी	सी0सी0रोड का कार्य भाग-1	4.50	पूर्ण
25		मरघटी	सी0सी0रोड का कार्य भाग-2	4.50	पूर्ण
26		सकरा	सी0सी0रोड का कार्य भाग-1	4.50	पूर्ण
27		सकरा	सी0सी0रोड का कार्य भाग-2	4.50	पूर्ण
28		चांटीपाली	सी0सी0रोड का कार्य भाग-1	4.50	पूर्ण

29		चांटीपाली	सी0सी0रोड का कार्य भाग-2	4.50	पूर्ण
30		जमगहन	सी0सी0रोड का कार्य भाग-1	4.50	पूर्ण
31		जमगहन	सी0सी0रोड का कार्य भाग-2	4.50	पूर्ण
32		अण्डा	सी0सी0रोड का कार्य भाग-1	4.50	पूर्ण
33		अण्डा	सी0सी0रोड का कार्य भाग-2	4.50	पूर्ण
34		भूतहा	सी0सी0रोड का कार्य	4.50	पूर्ण
35		भूतहा	नाली का कार्य भाग-1	4.50	पूर्ण
36	नवागढ़	बरमांठा	सी.सी.रोड	10.00	पूर्ण
37	—	कटौद	सी.सी.रोड	10.00	पूर्ण
38	बम्हनीडीह	देवरी	सी.सी.रोड निर्माण मेनरोड से गीता बरेठ घर तक	10.00	पूर्ण
39		मोहगांव	सी.सी.रोड निर्माण हजारी घर से नाला की ओर	10.00	पूर्ण
40		बरकुट	सी.सी.रोड निर्माण नरेन्द्र घर से स्कूल की ओर बरकुट	10.00	पूर्ण
41		दारंग	सी.सी.रोड निर्माण रामभरोस घर से बाजार चौक की ओर	10.00	पूर्ण
42		सोनादह	सी.सी.रोड निर्माण सोननदी किनारे से सामुदायिक भवन तक भाग-1	05.00	पूर्ण
43		सोनादह	सी.सी.रोड निर्माण सोननदी किनारे से सामुदायिक भवन तक भाग-1	05.00	पूर्ण
44	सक्ती	ढोलनार	सी.सी.रोड निर्माण (बरातू घर से तालाब की ओर)	2.00	पूर्ण
45		जामपाली	सी.सी.रोड निर्माण (कबीर चबूतरा से सीताराम घर की ओर)	2.00	पूर्ण
46		जगदल्ला	सी.सी.रोड निर्माण (बीच गली से मेवक घर की ओर)	2.00	पूर्ण
47	जैजैपुर	ओड़ेकेरा	सी.सी.रोड निर्माण रामायण घर से छोटेलाल घर की ओर	7.00	पूर्ण
48		ओड़ेकेरा	सी.सी.रोड निर्माण कमल घर से टाकुरदेव की ओर	7.00	पूर्ण
49		ओड़ेकेरा	सी.सी.रोड निर्माण नंदलाल घर से खुंटेलाल की ओर	7.00	पूर्ण
50		ओड़ेकेरा	सी.सी.रोड निर्माण विजय घर से श्री घर की ओर	7.00	पूर्ण

51	ओड़केरा	सी.सी.रोड निर्माण प्रेम घर से नरसिंग यादव घर की ओर	6.00	पूर्ण
52	ओड़केरा	सी.सी.रोड निर्माण रेणु घर से खोलबहरा घर की ओर	6.00	पूर्ण
53	ओड़केरा	मुरुमीकरण कार्य ओड़केरा से हरदीडीह की ओर	10.00	पूर्ण
54	ओड़केरा	मुरुमीकरण कार्य ओड़केरा से तुशार मार्ग में	10.00	पूर्ण
55	ओड़केरा	मुरुमीकरण कार्य ओड़केरा से जुनवानी की ओर	10.00	पूर्ण
56	ओड़केरा	मुरुमीकरण कार्य मंदिर से बाजार की ओर	10.00	पूर्ण
57	ओड़केरा	मुरुमीकरण कार्य बसरटैण्ड से बाजार की ओर	10.00	पूर्ण
58	खजुरानी	सी.सी.रोड निर्माण मुख्य गली से सिद्ध बाबा की ओर	3.50	पूर्ण
59	खजुरानी	सी.सी.रोड निर्माण सुखीराम घर से महामाया चौक की ओर	3.50	पूर्ण
60	खजुरानी	सी.सी.रोड निर्माण मनहरण चन्द्रा घर से नहर पार की ओर	3.50	पूर्ण
61	खजुरानी	सी.सी.रोड निर्माण मुख्य मार्ग से जगदीश साहू घर की ओर	3.50	पूर्ण
62	बहेराडीह	सी.सी.रोड निर्माण संतोश कुरे घर से जनक सतनामी घर की ओर	5.00	पूर्ण
63	बहेराडीह	सी.सी.रोड निर्माण धनेश सतनामी घर से जोहित घर की ओर	5.00	पूर्ण
64	सेन्दुरस	सी.सी.रोड निर्माण भाग-1	5.00	पूर्ण
65	सेन्दुरस	सी.सी.रोड निर्माण भाग-2	5.00	पूर्ण
66	चोरभट्टी	सी.सी.रोड निर्माण	5.00	पूर्ण
67	कार्यपालन अभियंता हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जौंजगीर जिला जौंजगीर चोंपा	शिवरीनारायण महानदी तटबंध कार्य	641.00	पूर्ण
	योग	67 कार्य	1007.00	

वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कार्यों की सूची।

स.क	कार्य	कार्य एजेंसी का नाम	स्वीकृत राशि	अद्यतन स्थिति
1	घटोली बम्हनीडीह बिरा मार्ग के कि.मी. 1/2 से 6/10 = 6.00 कि.मी.	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग जौजगीर	20.00	अपूर्ण
2	घटोली बम्हनीडीह बिरा मार्ग के कि.मी. 7/2 से 11/10 = 5.00 कि.मी.	-----//----- -	20.00	अपूर्ण
3	घटोली बम्हनीडीह बिरा मार्ग के कि.मी. 13/2 से 19/10 = 7.00 कि.मी.	-----//----- -	20.00	अपूर्ण
4	घटोली बम्हनीडीह बिरा मार्ग के कि.मी. 20/2 से 26/10 = 7.00 कि.मी.	-----//----- -	20.00	अपूर्ण
5	घटोली बम्हनीडीह बिरा मार्ग के कि.मी. 27/2 से 31/10 = 5.00 कि.मी.	-----//----- -	20.00	अपूर्ण
6	सक्ती टुण्डी मार्ग के कि.मी. 12/8, 13/2, 13/4, 13/6, एवं 14/2 पर मरम्मत कार्य	-----//----- -	19.30	अपूर्ण
7	सक्ती कोरबा मार्ग के कि. मी.2/4-6, 3/2-10 एवं 4/2-10 = 2.40 कि.मी. पर सुधार कार्य	-----//----- -	20.00	अपूर्ण
8	सक्ती कोरबा मार्ग के कि.मी. 6,7, 11/2-10 = 2.40 कि. मी. पर सुधार कार्य।	-----//----- -	20.00	अपूर्ण
9	सक्ती कोरबा मार्ग के कि.मी. 8, 9 एवं 10/2-4 = 2.40 कि.मी. पर सुधार कार्य।	-----//----- -	20.00	अपूर्ण
10	सक्ती कोरबा मार्ग के कि.मी. 12, 13 एवं 14/8-10 = 2.40 कि.मी. पर सुधार कार्य।	-----//----- -	20.00	अपूर्ण
11	सक्ती कोरबा मार्ग के कि.मी. 22/6-10 एवं 23/2-4 = 1.00 कि.मी. पर सुधार कार्य।	-----//----- -	20.00	अपूर्ण
12	रैनपुर पहुच मार्ग के कि.मी. 1/2 से 2/2 (50 मी.) = 1050 मीटर का मरम्मत कार्य।	-----//----- -	19.69	अपूर्ण
13	रैनपुर पहुच मार्ग के कि.मी. 2/2(150 मी.) से 3/2 (100 मी.) = 1050 मीटर का मरम्मत कार्य।	-----//----- -	19.69	अपूर्ण
14	रैनपुर पहुच मार्ग के कि.मी. 3/2(100 मी.) से 4/2 (100 मी.) = 1000 मीटर का मरम्मत कार्य।	-----//----- -	17.16	अपूर्ण
15	सक्ती बरपाली बासीनपाट मार्ग के कि.मी. 21/4-10 एवं 22/2-4 = 1.20	-----//----- -	20.00	अपूर्ण
16	सक्ती बरपाली बासीनघाट मार्ग के कि.मी. 20/2-10 एवं	-----//-----	20.00	अपूर्ण

	$21/2 = 1.20$	-		
17	सक्ती बरपाली वासीनपाट मार्ग के कि.मी. $23/6-10 = 0.60$ कि.मी.	----//----	10.00	अपूर्ण
18	सक्ती मालखरौदा छपोरा डभरा मार्ग के कि.मी. $35/2$ पर स्थित पुल का पहुच मार्ग एवं रिटर्निंग वाल का निर्माण कार्य (भाग-1)	----//---- -	18.85	अपूर्ण
19	सक्ती मालखरौदा छपोरा डभरा मार्ग के कि.मी. $35/2$ पर स्थित पुल का पहुच मार्ग एवं रिटर्निंग वाल का निर्माण कार्य (भाग-2)	----//---- -	18.70	अपूर्ण
20	सक्ती मालखरौदा छपोरा डभरा मार्ग के कि.मी. $35/2$ पर स्थित पुल का पहुच मार्ग एवं रिटर्निंग वाल का निर्माण कार्य (भाग-3)	----//---- -	12.39	अपूर्ण
21	जौजगीर केरा गिबरीनारायण मार्ग के कि.मी. $40/10$ (100 मी.) $42/10$ (100 मी.) = 485 मीटर का मजबूतीकरण कार्य।	----//---- -	19.90	अपूर्ण
22	केरा बिर्वा मार्ग के कि.मी. $1/4$ (150 मी.), $1/6$ (110मी.) का मजबूतीकरण कार्य।	----//---- -	19.51	अपूर्ण
23	जौजगीर केरा गिबरीनारायण मार्ग के कि.मी. $37/8$, $39/8-10$ (280मी.) = 480 मीटर का मजबूतीकरण कार्य।	----//---- -	19.71	अपूर्ण
24	मुलमुला बनाहिल मार्ग के कि.मी. $1/6$ (80 मी.) $4/6$ (80 मी.)=160 मीटर का मरम्मत कार्य।	----//---- -	19.85	अपूर्ण
25	मुलमुला बनाहिल मार्ग के कि.मी. $6/2$ (160 मी.) का मरम्मत कार्य।	----//---- -	19.85	अपूर्ण
26	चौपा भासकीय महाविद्यालय पहुच मार्ग का मजबूतीकरण कार्य (200मी.)	----//---- -	20.00	अपूर्ण
27	चौपा भासकीय महाविद्यालय पहुच मार्ग का मजबूतीकरण कार्य (200मी.)	----//---- -	20.00	अपूर्ण
28	चौपा बाईपास के कि.मी. 1 से 3 = 3.00 कि.मी.	----//---- -	20.00	अपूर्ण
29	सारागाँव देवरी मार्ग के कि.मी. $4/4$ (25 मी.) $4/6$ (200मी.)=225 मीटर	----//---- -	19.39	अपूर्ण
30	सारागाँव देवरी मार्ग के कि.मी. $4/2$ (50 मी.) $4/4$ (175मी.) =225 मीटर	----//---- -	19.39	अपूर्ण
31	हसौद बरकेला सरसीवा सारंगढ़ मार्ग के कि. मी. $4/10$ पर स्थित हयूम पाईप पुलिया (11 कतार) के उपर कांकीट	----//---- -	10.05	अपूर्ण

	सतह का मरम्मत कार्य।			
32	राष्ट्रीय राजमार्ग कं.-49 के कि.मी 29/10 से 30/2 एवं कि. मी. 50/2-4 में बी.टी. पेच का मरम्मत कार्य हेतु	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर	19.96	अपूर्ण
33	राष्ट्रीय राजमार्ग कं.-49 के कि.मी 55/8-10 एवं 68/6-10 में बी.टी. पेच का मरम्मत कार्य हेतु	-----//----- -	19.96	अपूर्ण
34	राष्ट्रीय राजमार्ग कं.-49 के कि.मी 69/2 एवं 69/8 में बी.टी. पेच का मरम्मत कार्य हेतु	-----//----- -	19.80	अपूर्ण
35	राष्ट्रीय राजमार्ग कं.-49 के कि.मी 70/4 से 70/8 में बी.टी. पेच का मरम्मत कार्य हेतु	-----//----- -	19.74	अपूर्ण
36	राष्ट्रीय राजमार्ग कं.-49 के कि.मी 70/10 से 71/2 में बी.टी. पेच का मरम्मत कार्य हेतु	-----//----- -	19.74	अपूर्ण
37	राष्ट्रीय राजमार्ग कं.-49 के कि.मी 72/6 से 76/2 में बी.टी. पेच का मरम्मत कार्य हेतु	-----//----- -	19.96	अपूर्ण
38	राष्ट्रीय राजमार्ग कं.-49 के कि.मी 76/2 से 77/4 में बी.टी. पेच का मरम्मत कार्य हेतु	-----//----- -	19.75	अपूर्ण
39	राष्ट्रीय राजमार्ग कं.-49 के कि.मी 80/4 से 81/4 में बी.टी. पेच का मरम्मत कार्य हेतु	-----//----- -	19.40	अपूर्ण
40	राष्ट्रीय राजमार्ग कं.-49 के कि.मी 83/4-8 में बी.टी. पेच का मरम्मत कार्य हेतु	-----//----- -	19.96	अपूर्ण
41	विकासखण्ड डभरा के ग्राम कांसा में स्थित घटोई जलाशय के नहर चैन क्रमांक 18,19,20 का मरम्मत कार्य।	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग जॉजगीर मुख्यालय चोंपा।	7.57	अपूर्ण
42	विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम पंचायत भठली का पाईप पुलिया एवं रपटा निर्माण कार्य।	कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जॉजगीर	19.96	अपूर्ण
	योग- 42		789.23	
	महायोग - 109		1796.23	पूर्ण 67 अपूर्ण 42

परिशिष्ट "ग्यारह"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 785) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा जिले में जीवित व्यक्तियों को मृत बताकर नामांतरण करने संबंधी मामलों में कार्यवाही

आवेदक दिलहरण गिर आ.छोटेला ल गिर जाति बैरागी निवासी ग्राम सांकर तहसील अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा के द्वारा फर्ती तरीके से अपने नानी बहुराबाई तथा अपने सगी मां शशि बाई उर्फ सुशील बाई को फौत बताते हुये तथा अपने मौसा गणेश गिरी को पिता बताते हुये ग्राम पंचायत सांकर के तत्कालिन सरपंच से मिली भगत कर तथा कूटरचना कर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव क्रमांक-9 में पारित निर्णय दिनांक 30.5.2007 के माध्यम से ग्राम सांकर की भूमि खसरा नंबर 111/1 रकबा 0.86 एकड़ को पटवारी रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करा लिया गया, जबकि भूमिस्वामी बहुरा बाई जीवित रही है। ग्राम पंचायतों को छ.ग.भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109 एवं 110 के तहत अविवादित नामांतरण के मामले में तहसीलदार के अधिकार प्रदान किये गये हैं। उक्त अधिकार के आधार पर ग्राम पंचायत, सांकर द्वारा उक्त मामले में नामांतरण आदेश पारित किया गया था।

2. उक्त नामांतरण आदेश पारित होने के बाद भूमिस्वामी बहुराबाई के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (रा) जांजगीर के न्यायालय में ग्राम पंचायत सांकर के द्वारा पारित प्रस्ताव के विरुद्ध दिनांक 02.07.2011 को अपील प्रस्तुत की गई। उक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (रा) जांजगीर के द्वारा सुनवाई प्रारंभ की गई, कि इसी अवधि में अपीलार्थी बहुराबाई तथा उत्तरवादी दिलहरण गिर के मध्य राजीनामा होने तथा प्रकरण नहीं चलाने की सहमति होने पर उनके आवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (रा) जांजगीर के आदेश दिनांक 02.07.2012 के माध्यम से प्रकरण खारिज किया गया। दिलहरण गिर भूमिस्वामी बहुराबाई की लड़की का लड़का है तथा रिस्ते में नाती लगता है।

3. इसी मामले में भूमिस्वामी बहुराबाई के आवेदन तथा पुलिस थाना अकलतरा के द्वारा उक्त आवेदन के जांचोपरांत प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अकलतरा के न्यायालय में अपराधिक प्रकरण क्रमांक 461/2012 छ.ग. शासन विरुद्ध दिलहरण गिर में धारा 420,467,468,471 तथा 34 भा.द.वि. प्रचलित था। उक्त दाण्डिक प्रकरण में भी न्यायालय की अनुमति से उभयपक्ष के द्वारा आपसी राजीनामा किया गया, जिसके आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अकलतरा के द्वारा उक्त दाण्डिक प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के माध्यम से राजीनामा स्वीकार कर आरोपी दिलहरण गिर को धारा 420 भा.द.वि. के अपराध से उन्मोचित किया गया तथा दाण्डिक प्रकरण समाप्त किया गया।

इस तरह उक्त प्रकरण में भूमिस्वामी तथा आरोपी दोनों के मध्य राजीनामा होने के आधार पर दाण्डिक न्यायालय तथा राजस्व न्यायालय में प्रकरण समाप्त किया गया है।

परिशिष्ट "बारह"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 869) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला कांकेर अंतर्गत संचालित शासकीय आई टी आई की संस्थावार जानकारी

क्रमांक	संस्था का नाम	संचालित पाठ्यक्रम का नाम (व्यवसाय का नाम)	वर्तमान में शैक्षणिक सत्र में दर्ज हुए छात्र-छात्राओं (प्रशिक्षणार्थियों) की संख्या	
			फरवरी 2013 से प्रारंभ सत्र	अगस्त 2013 से प्रारंभ सत्र
1	2	3	4	5
1	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कांकेर	हिन्दी स्टेनो	0	17
		कटिंग टेलरिंग	0	20
		ड्रेस मैकिंग	0	21
		हास्पिटल हाउस कीपिंग	0	13
		लायब्रेरी एंड इंफरमेशन साइंस	21	20
		कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	0	26
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कांकेर	विद्युतकार	21	0
		फिटर	21	0
		कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	24	0
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पखांजूर	विद्युतकार	21	0
		फिटर	0	19
		कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	0	26
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भानुप्रतापपुर	फिटर	21	0
		कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	12	0
5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अंतागढ़	विद्युतकार	17	0
		फिटर	17	0
		हिन्दी स्टेनो	17	0
		मैकेनिक डीजल	16	0
		कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	26	0
6	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चारामा	कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	26	0

जिला कांकर में स्थित आई.टी.आई का बजट आबंटन एवं व्यय की जानकारी

(राशि लाखों में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का विवरण जिसके लिये राशि स्वीकृत है	महिला कांकर			बालक कांकर			पखांजुर			भानुप्रतापपुर			अंतागढ़			चारामा		
			स्वीकृत	बजट प्रावधान	व्यय	स्वीकृत	बजट प्रावधान	व्यय	स्वीकृत	बजट प्रावधान	व्यय	स्वीकृत	बजट प्रावधान	व्यय	स्वीकृत	बजट प्रावधान	व्यय	स्वीकृत	बजट प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	13	14	15
1	2010-11	स्थापना व्यय	0.00	46.30	48.40	0.00	12.90	18.05	0.00	16.37	15.03	0.00	15.41	14.14	0.00	12.19	25.75	0.00	5.88	0.00
		मशीन उपकरण मद	180.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	33.27
		भवन निर्माण (मद पी. डब्ल्यू.डी.) विभाग	0.00	0.00	0.00	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.80	0.00	0.00	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2011-12	स्थापना व्यय	0.00	32.92	45.67	0.00	16.81	23.61	0.00	23.43	22.56	0.00	16.61	15.90	0.00	11.97	40.11	0.00	12.23	3.97
		मशीन उपकरण मद	14.60	14.60	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		भवन निर्माण मद	140.70	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2012-13	स्थापना व्यय	0.00	53.79	67.20	0.00	17.07	19.48	0.00	24.07	19.93	0.00	19.53	19.11	0.00	36.84	33.51	0.00	7.09	3.73
		मशीन उपकरण मद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		भवन निर्माण (मद पी. डब्ल्यू.डी.) विभाग	117.42	0.00	0.00	117.42	0.00	0.00	117.42	0.00	0.00	0.00	117.42	0.00	0.00	117.42	0.00	0.00	117.42	0.00
4	2013-14 (31जनवरी 2013 तक)	स्थापना व्यय	0.00	102.00	51.80	0.00	42.30	33.82	0.00	4.97	25.96	0.00	25.30	20.50	0.00	33.27	41.89	0.00	15.63	12.68
		मशीन उपकरण मद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		भवन निर्माण (मद पी. डब्ल्यू.डी.) विभाग	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

टीप : 1. भवन निर्माण हेतु राशि लोक निर्माण विभाग को प्रदाय की जाती है।

2. आई टी आई चारामा वर्ष 2010-11 में सवीकृत की गई।

प्रपत्र "स"

जिला कांकेर में संचालित संस्थाओं की भवन उपलब्धता की जानकारी

क्रमांक	संस्था का नाम	स्वयं/किराया/अन्य शासकीय भवन
1	2	3
1	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कांकेर	स्वयं की भवन में संचालित है।
2	बालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कांकेर	स्वयं की भवन में संचालित है।
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पखांजूर	स्वयं की भवन में संचालित है।
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भानुप्रतापपुर	अन्य शासकीय भवन में संचालित है।
5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंतागढ़	अन्य शासकीय भवन में संचालित है।
6	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चारामा	किराये के भवन में संचालित है।

परिशिष्ट "तेरह"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 870) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	महाविद्यालय का नाम	उपलब्ध संकाय	संकाय में प्राध्यापक की उपलब्धता	संकाय में सहायक प्राध्यापक की उपलब्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शास. भानुप्रतापदेव पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर	कला विज्ञान वाणिज्य विधि	शासकीय भानुप्रतापदेव पी.जी. महाविद्यालय कांकेर में कला तथा वाणिज्य संकाय में शासकीय महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय भानुप्रतापपुर में कला संकाय में प्राध्यापक के पद स्वीकृत है परन्तु दिनांक 30-11-2005 से प्राध्यापक उपलब्ध नहीं है। शासकीय भानुप्रतापदेव पी.जी. महाविद्यालय कांकेर तथा शासकीय महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय भानुप्रतापपुर में शेष विषयों/संकायों में तथा शेष महाविद्यालयों के सभी विषयों एवं संकायों में प्राध्यापक पद स्वीकृत नहीं है।	शासकीय शहीद गैदसिंह महाविद्यालय चारामा में विज्ञान संकाय में सहायक प्राध्यापक के पद स्वीकृत है किन्तु दिनांक 21-05-2008 से सहायक प्राध्यापक उपलब्ध नहीं है। नवीन शासकीय महाविद्या. सरोना में कला, विज्ञान तथा वाणिज्य संकायों में सहायक प्राध्यापक के पद स्वीकृत है, किन्तु दिनांक 09-05-13 से सहायक प्राध्यापक उपलब्ध नहीं है। शासकीय नवीन महा. दुर्गकोदल में कला विज्ञान वाणिज्य संकायों में सहायक प्राध्यापक के पद स्वीकृत है किन्तु दिनांक 12-09-2013 से सहायक प्राध्यापक उपलब्ध नहीं है। शहीद गैदसिंह महाविद्यालय चारामा में कला संकाय में तथा शेष सभी महाविद्यालयों में सभी संकायों में सहायक प्राध्यापक उपलब्ध है।
2	शास. इंदरू केवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर	कला		
3	शास. महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर	कला विज्ञान वाणिज्य		
4	शास. वीर गैद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर	कला विज्ञान		
5	शास. शहीद गैद सिंह महाविद्यालय, चारामा	कला विज्ञान		
6	शास. लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय, अंतागढ़	कला विज्ञान वाणिज्य		
7	नवीन शास. महाविद्यालय, सरोना	कला विज्ञान वाणिज्य		
8	शास. नवीन महाविद्यालय, दुर्गकोदल	कला विज्ञान वाणिज्य		

परिशिष्ट "चौदह"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 893) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्रं.	स्थान का नाम	भवनों का प्रकार	भवनों की संख्या	विकित/आबंटित भवनों की संख्या	प्रति भवन विक्रय राशि (लाख में)
1.	चिखली	एच.आई.जी.	10	10	10.85 और 13.35
		एम.आई.जी.	6	6	7.53
		एल.आई.जी.	15	15	6.90
		एल.आई.जी.-I	44	41	5.35
		एल.आई.जी.-II	20	20	4.00
2.	लाखोली	एम.आई.जी.	18	18	15.40
3.	कौरिनभाठा	एल.आई.जी.	392	359	4.65 और 4.68 भू-तल, 4.40 और 4.43 प्रथम तल 4.15 और 4.18 द्वितीय तल 3.90 और 3.93 तृतीय तल
4.	मनकी	एल.आई.जी.	271	270	3.35 और 4.24
5.	टेड़ेसरा	एल.आई.जी.	42	41	3.85, 4.20 और 4.60
6.	मनकी	ई.डब्ल्यू.एस.	175	175	1.50
7.	पेण्डी	ई.डब्ल्यू.एस.	392	392	1.50
8.	मोहरा	ई.डब्ल्यू.एस.	98	98	1.50
9.	पिपरिया	ई.डब्ल्यू.एस.	106	106	1.90
10.	पेण्डी	एच.आई.जी.	33	18	23.89
		सीनियर एम.आई.जी.	22	16	23.39
		जूनियर एम.आई.जी.	51	26	18.72
		एल.आई.जी.	210	9	6.25, 6.50, 6.77 और 7.02
		ई.डब्ल्यू.एस.	240	55	3.08, 3.23, 3.38 और 3.54
		कुल	2145	1675	

परिशिष्ट “पंद्रह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 1023) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

निजी भूमि से वृक्ष काटने की अनुमति संबंधी प्रकरणों की जानकारी

क्र.	जिला	विकासखंड	दर्ज प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	निराकरण हेतु शेष प्रकरणों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	1. धरसीवां	0	0	0
		2. अभनपुर	0	0	0
		3. तिल्ला	0	0	0
		4. आरंग	0	0	0
		योग	0	0	0
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार	0	0	0
		2. भाटापारा	1	1	0
		3. कसडोल	1	1	0
		4. बिलाईगढ़	0	0	0
		5. पलारी	0	0	0
		6. सिमगा	1	1	0
		योग	3	3	0
3.	गरियाबंद	1. गरियाबंद	46	6	40
		2. छुरा	6	0	6
		3. मैनपुर	6	0	6
		4. फिंगेश्वर	1	0	1
		5. देवभोग	0	0	0
		योग	59	6	53
महायोग			62	9	53

परिशिष्ट "सोलह"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 1027) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

वर्ष 2013-14 आयदा मद में आवंटित राशि एवं व्यय की जानकारी

(राशि लाख रु. में)

क्रमांक	जिले का नाम	आवंटित राशि	व्यय राशि	हितग्राहियों को वितरित राशि	मरम्मत / निर्माण कार्य में व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	1393.48	457.45	307.45	150.00
2	महासमुंद	626.45	130.25	101.99	28.26
3	धमतरी	625.48	248.24	128.11	120.13
4	दुर्ग	644.51	345.04	345.04	0.00
5	राजनांदगांव	1020.24	236.90	186.90	50.00
6	कबीरधाम	405.48	124.10	124.10	0.00
7	बस्तर	1900.39	175.14	175.14	0.00
8	कांकेर	633.39	359.82	163.10	196.72
9	दन्तेवाड़ा	427.48	174.54	116.19	58.35
10	बिलासपुर	884.36	217.83	217.83	0.00
11	जांजगीर-चांपा	1514.40	932.63	745.36	178.27
12	कोरबा	426.45	270.50	270.50	0.00
13	रायगढ़	620.33	359.01	359.01	0.00
14	जशपुर	435.36	133.56	133.56	0.00
15	सरगुजा	512.39	108.61	108.61	0.00
16	कोरिया	329.45	292.01	113.36	178.65
17	बीजापुर	827.48	48.64	11.45	37.19
18	नारायणपुर	174.54	44.43	44.43	0.00
19	सुकमा	622.60	38.60	38.60	0.00
20	कोण्डागांव	1009.40	560.35	135.35	425.00
21	बालोद	1276.45	1197.93	51.16	1146.77
22	गरियाबंद	2354.77	1772.06	86.06	1686.00
23	बलोदाबाजार	1577.42	515.65	139.19	376.46
24	बेमेतरा	1426.45	146.83	146.83	0.00
25	मुंगेली	324.51	75.87	75.87	0.00
26	बलरामपुर	1825.60	746.98	127.84	619.14
27	सूरजपुर	325.60	113.77	113.77	0.00
	योग	24144.46	9817.74	4566.80	5250.94

परिशिष्ट "सत्रह"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1036) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	स्थापित शासकीय महाविद्यालयों के नाम	स्वीकृत पद	पदस्थ
1	शास. ठाकुर छेदीलाल पी.जी. महाविद्यालय, जांजगीर	65	49
2	शास. डॉ. इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय, अकलतरा	37	28
3	शास. लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय, खरौद	37	18
4	शास. मयूरध्वज महादानी राजा पी.जी. महाविद्यालय, चांपा	50	37
5	शास. महाविद्यालय, डमरा	35	20
6	शास. महाविद्यालय, मालखरौदा	31	17
7	शास. जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर	22	17
8	शास. क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय, सक्ती	19	13
9	शास. महाविद्यालय, जैजैपुर	19	7
10	शास. महाविद्यालय, बलौदा	21	11
11	शास. नवीन महाविद्यालय, हसौद	19	9
12	शास. महाविद्यालय, पामगढ़	19	13

परिशिष्ट "अट्ठारह"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1039) की जानकारी]

प्रदेश में बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन के तहत केन्द्र से प्राप्त राशि एवं उससे कराये गये कार्य

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि			स्वीकृत राशि (राशि लाख रुपये)						
	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	अनुदान सहायता	तटबंध / सड़क पुलपुलिया मरम्मत कार्य	सूखा राहत कार्य	पेयजल	उपकरण आदि पर व्यय	आपदा प्रबंधन क्षमता विकास प्रशिक्षण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2009-10	13993.50	4623.50	18617.00	2294.74	6495.83	1266.83	2453.93	1082.71	0.00	13593.84
2010-11	5674.50	1891.50	7566.00	4888.10	5496.91	0.00	868.82	64.00	0.00	11317.83
2011-12	11633.00	3877.50	15510.50	3246.61	4944.82	0.00	0.00	253.17	162.13	8606.73
2012-13	12214.50	4071.50	16286.00	5240.20	7616.41	0.00	0.00	240.45	384.70	13481.76
2013-14 (20.01.14 तक)	12825.00	4248.00	17073.00	3959.70	19992.68	0.00	791.00	826.22	212.96	25782.56
योग	56340.50	18712.00	75052.50	19629.35	44546.65	1266.63	4113.75	2466.55	759.79	72782.72

53

[14 फरवरी, 2014